UPMO010109802018

न्यायालय अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश/एफ.टी.सी. (महिलाओं के विरुद्ध हिंसा के मामलों हेतु) कक्ष संख्या 1, मुरादाबाद

पीठासीन अधिकारी**-** (प्रीति सिंह-द्वितीय)**, (**उ **0** प्र **0** न्यायिक सेवा**) - UP01613**

सत्र परीक्षण संख्या-873/2018

उत्तर प्रदेश राज्य

बनाम

1. राम किशोर पुत्र स्व 0 हरि सिंह, उम्र लगभग 54 वर्ष,

2. माया देवी पत्नी रामकिशोर, उम्र लगभग 52 वर्ष,

निवासीगण ग्राम फरेंदी कलां, थाना कुन्दरकी, जिला मुरादाबाद।

……..……….....अभियुक्तगण।

मुकदमा अपराध संख्या	204/2018
अन्तर्गत धारा	498 ए,304 बी,315,328 एवं धारा-4 दहेज प्रतिषेध अधिनियम, वैकल्पिक आरोप अन्तर्गत धारा-302 भारतीय दण्ड संहिता
थाना व जिला	कुन्दरकी, जिला–मुरादाबाद
वादी	श्री अरविन्द
प्रतिनिधित्व (वादी)	सहायक जिला शासकीय अधिवक्ता (फौजदारी) अशोक कुमार यादव
अभियुक्तगण	रामकिशोर व माया देवी
प्रतिनिधित्व (अभियुक्तगण)	नासिर एडवोकेट
घटना की तिथि	26.06.2018
प्रथम सूचना रिपोर्ट अंकित किये जाने की तिथि	26.06.2018
आरोप पत्र संख्या व प्रेषित किये जाने की तिथि	166/2018, दिनांक-06.09.2018
सत्र सुपुर्दगी	02.11.2018
आरोप विरचित किये जाने की तिथि	02.02.2019

Digitally signed by
PRITI SINGH
Date: 2026.01.09
16:51:25 IST
Reason: Document
Owner
Location: District and
Sessions Court

–:उक्त वाद में अभियोजन पक्ष द्वारा दाखिल प्रपत्रों पर न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत प्रदर्शः–

क्र **0** सं**0**	प्रदर्श सं0	प्रपत्र का नाम	प्रमाणितकर्ता
1.	प्रदर्श क–1	तहरीर प्रार्थना पत्र	पी0 डब्लू0–1 वादी मुकदमा श्री अरविन्द
2.	प्रदर्श क–2	पंचायतनामा	पी0 डब्लू0–1 वादी मुकदमा श्री अरविन्द
3.	प्रदर्श क–3	प्रथम सूचना रिपोर्ट	पी0 डब्लू0–2 कां0 294 ज्योति सिंह
4.	प्रदर्श क–4	जी0 डी0 कायमी	पी0 डब्लू0–2 ज्योति सिंह
5.	प्रदर्श क–5	पोस्टमार्टम रिपोर्ट	पी0 डब्लू0–5 डॉक्टर निर्मल ओझा
6.	प्रदर्श क–6	चिट्टी सी0 एम 0 ओ 0	पी0 डब्लू0–6 (तत्कालीन तहसीलदार) श्री राजेश कुमार
7.	प्रदर्श क–7	चिट्टी आर-1	पी0 डब्लू0–6 (तत्कालीन तहसीलदार) श्री राजेश कुमार
8.	प्रदर्श क–8	फोटोनाश	पी0 डब्लू0–6 (तत्कालीन तहसीलदार) श्री राजेश कुमार
9.	प्रदर्श क–9	नमूना मोहर	पी0 डब्लू0–6 (तत्कालीन तहसीलदार) श्री राजेश कुमार
10.	प्रदर्श क–10	चालान नाश	पी0 डब्लू0–6 (तत्कालीन तहसीलदार) श्री राजेश कुमार
11.	प्रदर्श क–11	नक्शा नजरी	पी0 डब्लू0–7 (सेवानिवृत्त क्षेत्राधिकारी) रणधीर सिंह
12.	प्रदर्श क–12	आरोप पत्र	पी0 डब्लू0–7 (सेवानिवृत्त क्षेत्राधिकारी) रणधीर सिंह

निर्णय

1. सत्र परीक्षण संख्या–873/2018 में पुलिस थाना कुन्दरकी, जिला मुरादाबाद द्वारा मुकदमा अपराध संख्या-204/2018 में अभियुक्तगण राकेश, रामकिशोर व मायादेवी के विरूद्ध आरोप–पत्र अन्तर्गत धारा–498 ए,304 बी,315,328 भारतीय दण्ड संहिता व धारा-3/4 डी0 पी0 एक्ट विचारण हेतु प्रस्तुत किया गया है, जिसपर विद्वान मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट, मुरादाबाद द्वारा दिनांक 24.09.2018 को प्रसंज्ञान लिया गया। उक्त मामला सत्र न्यायालय द्वारा विचारणीय होने के कारण दिनांक 02.11.2018 को सत्र न्यायालय को सुपुर्द किया गया। सत्र न्यायाधीश के आदेशानुसार उक्त पत्रावली अंतरित होकर दिनांक 21.01.2019 को इस न्यायालय को प्राप्त हुई। प्रस्तुत प्रकरण में अभियुक्त राकेश की दौराने मुकदमा मृत्यु हो जाने के कारण इस न्यायालय द्वारा अभियुक्त राकेश के विरूद्ध उक्त वाद की कार्यवाही दिनांक 07.08.2025 को उपशमित की जा चुकी है।

2. संक्षेप में अभियोजन कथानक इस प्रकार है कि वादी मुकदमा श्री अरविन्द द्वारा दिनांक 26.06.2018 को थाना कुन्दरकी, मुरादाबाद में एक हस्तलिखित प्रार्थना पत्र प्रस्तुत किया गया कि, "मेरी बहन मृतका उम्र करीब 20 वर्ष पुत्री बालेश्वर निवासी गुगौआ थाना उधैती जि0 (बदायूँ) की शादी दिनांक 30.12.2017 को राकेश पुत्र रामकिशोर निवासी ग्राम फरेदी कला थाना कुन्दरकी, मुरादाबाद के साथ हिन्दू रीति रिवाज से हुई थी। मेरी बहन मृतका अपनी ससुराल में 2 दिन पहले ही मायके से गयी थी। आज दिनांक 26.06.2018 को हमारी रिश्तेदार शान्ति ने फोन से 02.00 बजे

रात सूचना दी कि मृतका की ससुराल वालों ने हत्या कर दी है। सचना पर मैं और मेरा चाचा रामेश्वर, चाची पायल फरेंदी में मृतका के यहाँ आये। मृतका की लाश घर के बरामदे में पड़ी मिली। मृतका के पति राकेश, ससुर रामकिशोर, सास माया देवी ने मिलकर दहेज के लिए मृतका की तीनों लोगों ने मिलकर गला दबाकर हत्या कर दी और उसे बैल्टों से जमकर पिटाई की थी। उसका शरीर पूरा नीला पड़ गया है। रिपोर्ट लिखकर कानूनी कार्यवाही करने की कृपा करे।"

3. उक्त प्रार्थना पत्र **प्रदर्श क-1** के आधार पर दिनांक 26.06.2018 को ही को अभियुक्तगण राकेश, रामकिशोर व मायादेवी के विरूद्ध थाना कुन्दरकी, जिला मुरादाबाद में मुकदमा अपराध सं0-204/2018, धारा-498 ए,304 बी भारतीय दण्ड संहिता व धारा-3/4 दहेज प्रतिषेध अधिनियम, 1961 के अन्तर्गत दर्ज हुआ, जिसका खुलासा रोजनामचा आम में किया गया।

4. प्रश्नगत मामले में विवेचक द्वारा विवेचनोपरान्त अभियुक्तगण राकेश, रामकिशोर व मायादेवी के सम्बन्ध में आरोप–पत्र अन्तर्गत धारा– 498 ए,304 बी,315,328 भारतीय दण्ड संहिता व धारा-3/4 डी0 पी0 एक्ट में आरोप पत्र विचारण हेतु प्रस्तुत किया।

5. विद्वान मजिस्ट्रेट न्यायालय द्वारा आरोप पत्र पर प्रसंज्ञान लिया गया तथा मामले को सत्र न्यायालय में विचारण हेतु सुपुर्द किया गया।

6. प्रश्नगत मामले में सहायक जिला शासकीय अधिवक्ता (फौजदारी) व अभियुक्तगण के विद्वान अधिवक्ता द्वारा प्रस्तुत अभिकथन व पत्रावली पर उपलब्ध समस्त साक्ष्यों के दृष्टिगत अभियुक्तगण राकेश, रामकिशोर व मायादेवी के विरूद्ध दिनांक 02.02.2019 को धारा-498 ए,304 बी,315,328 भारतीय दण्ड संहिता, धारा-4 दहेज प्रतिषेध अधिनियम एवं 302 भारतीय दण्ड संहिता के अन्तर्गत वैकल्पिक आरोप विरचित किया गया। तत्पश्चात् प्रस्तुत प्रकरण में अभियुक्त राकेश की दौराने मुकदमा मृत्यु हो जाने के कारण इस न्यायालय द्वारा अभियुक्त राकेश के विरूद्ध उक्त वाद की कार्यवाही दिनांक 07.08.2025 को उपशमित की जा चुकी है।

7. उपरोक्त मामले में अभियोजन की ओर से अभियुक्तगण के विरूद्ध लगाये गये आरोपों को सिद्ध करने के लिए मौखिक साक्ष्य में पीडब्लू0- 1 वादी मुकदमा श्री अरविन्द, पी0 डब्लू0- 2 कां0 294 ज्योति सिंह, पी0 डब्लू0-3 बालेश्वर, पी0 डब्लू0-4 रामेश्वर, पी0 डब्लू0-5 डॉक्टर डॉक्टर निर्मल ओझा, पी0 डब्लू0-6 (तत्कालीन क्षेत्राधिकारी)श्री राजेश कुमार एवं पी0 डब्लू0-7 (रिटायर्ड क्षेत्राधिकारी) रणधीर सिंह को परीक्षित कराया गया है।

8. अभियोजन की ओर से अभिलेखीय साक्ष्य के रूप में तहरीर प्रार्थना पत्र को प्रदर्श क-1, पंचायतनामा को प्रदर्श क-2, प्रथम सूचना रिपोर्ट को प्रदर्श क-3, जी0 डी0 कायमी को प्रदर्श क-4, पोस्टमार्टम रिपोर्ट को प्रदर्श क-5, चिट्ठी सी0 एम 0 ओ 0 को प्रदर्श क-6, चिट्ठी आर-1 को प्रदर्श क-7, फोटोनाश को प्रदर्श क-8, नमूना मोहर को प्रदर्श क-9, चालान नाश को प्रदर्श क-10, नक्शा नजरी को प्रदर्श क-11 एवं आरोप पत्र को प्रदर्श क-12 के रूप में साबित कराया गया है।

9. अभियुक्तगण का बयान अन्तर्गत धारा- 313 दण्ड प्रक्रिया संहिता अंकित किया गया, जिसमें अभियुक्तगण ने अभियोजन कथानक को गलत व रंजिशन चलना बताया और कथन किया कि शादी से पहले व बाद में हमने मृतका से कोई दान दहेज की मांग नहीं की, न ही मृतका को कभी शारीरिक व मानसिक रूप से प्रताड़िता किया तथा सफाई साक्ष्य प्रस्तुत करने का कथन किया।

10. विद्वान सहायक जिला शासकीय अधिवक्ता (फौजदारी) एवं अभियुक्तगण के विद्वान अधिवक्ता की बहस सुनी तथा पत्रावली पर उपलब्ध साक्ष्य का सम्यक् रूप से परिशीलन किया।

11. अभियोजन द्वारा दौरान बहस यह तर्क प्रस्तुत किया गया है कि दिनांक 26.06.2018 को रात्रि किसी समय अभियुक्तगण द्वारा मृतका जो कि गर्भपती थी, बच्चा पैदा होने से रोकने के लिए उसको विषैला पदार्थ खिलाकर, उसके साथ दहेज की मांग को लेकर क्रूरतापूर्ण व्यवहार किया गया, उसकी गला दबाकर हत्या कर दी गई। अभियोजन द्वारा अपने कथानक को साबित करने के लिए प्रदर्श क-1 लगायत प्रदर्श क-12 अभिलेखीय साक्ष्य के रूप में दाखिल किया गया है। अभियोजन अपने केस को साबित करने में सफल रहा है, अतः अभियुक्तगण की दोषसिद्धि की जाये।

इसके अतिरिक्त बचाव पक्ष के विद्वान अधिवक्ता द्वारा दौरान बहस यह तर्क प्रस्तुत किया है कि अभियोजन द्वारा अभियुक्तगण के विरूद्ध झूठा मुकदमा पंजीकृत कराया गया है। अभियोजन द्वारा प्रस्तुत साक्षियों ने मुख्य परीक्षा से प्रतिपरीक्षा तक विरोधाभासी कथन किये हैं, अभियोजन अपने केस को साबित करने में असफल रहा है, अतः अभियुक्तगण को दोषमुक्त किया जाये।

12. अभियोजन **साक्षी पी0 डब्लू0- 1 वादी मुकदमा श्री अरविन्द** ने अपनी **मुख्य परीक्षा** में सशपथ कथन किया कि, "मृतका मेरी छोटी सगी बहन थी। मेरी बहन मृतका (मृतका) की शादी दिनांक 30.12.2017 को राकेश निवासी थाना-कुन्दरकी के साथ, पूरे हिन्दू रीति-रिवाज के साथ मेरे पिता जी व परिवारवालों ने की थी। शादी में हम लोगों ने अपनी हैसियत के अनुसार दान-दहेज दिया था, परन्तु दिये गये दान दहेज से मेरी बहन मृतका (मृतका) के पति राकेश, ससुरा राम किशोर व सास माया देवी खुश नहीं थे और दहेज में एक भैंस, एक फिज या 60 हजार रुपये की मांग करते थे। मेरी बहन मृतका की हत्या दिनांक 26.06.2018 को उपरोक्त तीनों अभियुक्तगण ने कर दी थी। जिस समय मेरी बहन की हत्या की गयी, उस समय मेरी बहन मृतका (मृतका) लगभग चार-साढे चार माह की गर्भवती थी। हत्या से दो दिन पहले ही मेरी बहन अपनी ससुराल वापस गयी थी। जब मेरी बहन अपने माइके आयी थी, तब उसने हम लोगों को अभियुक्तगण राकेश, रामकिशोर व माया देवी द्वारा दहेज में भैंस, फिज या 60 हजार रुपये नकद मांगने वाली बात बतायी थी और कहा था कि इन लोगों को दहेज में ये चीजें दे दो, वरना ये लोग मुझे मार देंगे। ये लोग मुझे दहेज की मांग पूरी ना होने के कारण बहुत परेशान करते हैं। दिनांक 26.06.2018 को रात में लगभग 2 बजे हमारे पास मेरी बहन मृतका (मृतका) के ससुराल में रहने वाली शान्ति का फोन आया। शान्ति ने फोन पर बताया कि तुम्हारी बहन मृतका को उसके पति राकेश, ससुर रामकिशोर व सास माया देवी ने दहेज की मांग पूरी न होने के कारण उसकी हत्या कर दी है। इस सूचना पर मैं, मेरे चाचा रामेश्वर व चाची पायल सुबह 7 बजे के करीब अपनी बहन मृतका (मृतका) के ससुराल पहुंच गये। हमने वहां जाकर देखा कि मेरी बहन मृतका (मृतका) की लाश घर के बरामदे में पड़ी थी। उसका पूरा शरीर नीला पड़ा हुआ था तथा शरीर पर जगह-जगह चोटों के निशान थे। इस घटना की रिपोर्ट मैंने स्वयं लिखकर थाने पर दी थी। साक्षी को पत्रावली पर मौजूद पेपर सं0 4/4 पढ़कर सुनाया गया तो साक्षी ने कहा कि यह वही प्रार्थना पत्र है, जो मैंने स्वयं लिखकर थाने पर दिया था। इस पर मेरे हस्ताक्षर हैं। तस्दीक करता हूं। प्रार्थना पत्र पर **प्रदर्श-क 1** डाला गया। इस पर पड़े हस्ताक्षर को पॉइण्ट-ए दिया गया। मेरी सूचना पर पुलिस मौके पर आ गयी थी। मौके पर ही तहसीलदार द्वारा पंचायतनामे की कार्यवाही नियमानुसार की गयी थी। मुझे पंच बनाया था। पूरी लिखापढी करके तथा मुझे सुनाकर उस पर मेरे हस्ताक्षर कराये गये थे व मेरी राय भी ली गयी थी। साक्षी ने पत्रावली पर मौजूद पेपर सं0 5/5 व 5/6

पंचायतनामें पर अपने हस्ताक्षर पहचाने व तस्दीक किये। पंचायतनामें पर **प्रदर्श-क 2** डाला गया। घटना के संबंध में सी0 ओ 0 साहब द्वारा मेरे बयान लिये गये थे। मैंने उन्हें सारी बात सही-सही बता दी थी। साक्षी ने अदालत में मौजूद अभियुक्तगण राकेश, रामकिशोर व माया देवी की ओर इशारा करके बताया कि ये वही लोग हैं, जिन्होंने मेरी बहन की हत्या की थी। घटना के बाद जब हम अपनी बहन मृतका (मृतका) के घर पहुंचे, तब वहां केवल मृतका की सास अभियुक्ता माया देवी मौजूद थीं तथा अभियुक्तगण राकेश व रामकिशोर भागे हुये थे।" **बचाव पक्ष की ओर से की गयी प्रतिपरीक्षा के दौरान इस साक्षी ने सशपथ कथन किया है कि** "मेरी दादी जिन्दा है। उनका नाम ओउमवती है। दादी की उम्र 55 या 60 साल के आस-पास है। मेरे दादा की मृत्यु हो चुकी है। उनकी मृत्यु सन् 2010 में हुई थी। मेरे पिताजी की उम्र 40 साल है। इस मुकदमे में मैंने अपना प्राइवेट वकील कर रखा है। आज भी मैं उनके चेम्बर पर बैठकर आया हूँ। मेरे पिताजी बालेश्वर के तीन बच्चे हैं। सबसे बड़ा मैं हूँ, उसका बाद मेरा भाई गोविन्द है जो मुझसे एक साल छोटा है। गोविन्द की उम्र 22 साल है। गोविन्द के बाद मेरी बहन मृतका थी। गोविन्द से एक साल छोटी थी। गोविन्द की उम्र सन् 2017 में 18 साल की होगी। गोविन्द से एक साल छोटी मृतका की उम्र 2017 में 18 साल थी। मृतका की जन्मतिथि याद नहीं है। गोविन्द की भी जन्मतिथि याद नहीं है। यह कहना गलत है कि जब हमने मृतका की शादी की थी, तब वह नाबालिग हो। मैं देहली में नौकरी करता हूँ। मेरे पिताजी बालेश्वर एक किसान है। मुझे नहीं मालूम कि कितने बीघा जमीन है। खेती किस गांव में है, उसका खसरा नम्बर मालूम नहीं है। यह रिश्ता हमारे रिश्तेदारों ने कराया था। मेरी शादी हो चुकी है, मेरी पत्नी का नाम पिंकी है। मुझे यह भी याद नहीं कि मेरी शादी कब हुई थी, मृतका की शादी से पहले या बाद में हुई थी। मेरे दो बच्चे हैं। बड़े बेटे का नाम तरून व बेटी का नाम तान्या है। तरून की उम्र चार साल है, बेटी की उम्र 6 माह है। तरून की मम्मी का नाम पिंकी है। जब तरून का जन्म हुआ था तो उसकी माँ का नाम शीतल था। वह कब मरी थी, मुझे नहीं मालूम। शीतल जिन्दा नहीं है, मुझे पता है कि अदालत में झूठी गवाही देना अपराध है। तरून की माँ शीतल निवासिनी रिसौनी थाना बिल्सी जिला बदायूँ की रहने वाली थी। शीतल के माँ बाप तरून से मिलने नहीं आते हैं। क्यों नहीं आते, वह उनकी मर्जी है। शीतल के माँ बाप ने कोई कार्यवाही नहीं की थी। शीतल के माता-पिता से मेरा समझौता हुआ था। मैं पढ़ा लिखा हूँ, समझदार भी हूँ। दोनों की आपस में बात हुई थी, तभी समझौता हुआ था। यह कहना सही है कि जब विवाद होता है तभी समझौता होता है। मैं अभियुक्त राकेश (मृतक) आदि के घर मृतका की शादी के बाद गया हूँ। पहले कभी नहीं गया। मुझे यह नहीं मालूम कि राकेश आदि के कमरों की छत आर.सी.सी. की है पर गांव के हिसाब से गोले पड़े हैं। मेरे पिताजी बालेश्वर की बहन का नाम शीला है। शाला के नो बच्चे हैं। तीन भाई व छः बहने हैं। तीनों लड़के बड़े है। तीनों लड़कों की शादी हो गयी है। सबसे पहले शादी बुआ के बीच के लड़के की हुई थी। जून, 2018 में शीला के बड़े बेटे बलवीर की शादी हुई थी। उस घटना से दो दिन पहले बलवीर की शादी में मैं नहीं गया था। उस शादी में मृतका गयी थी। शादी में राकेश गया था। राकेश मृतका को अपने साथ ले गया था। शान्ति बुआ जी के रिश्ते में लगती है। आज से पहले जो मैंने बयान दिये हैं, वह वकील साहब के कहने पर दिये थे। जिस समय शान्ती ने फोन किया था तब मैं दिल्ली था। सुबह 07.00 बजे मैं राकेश के गांव पहुँच गया था। मैंने 100 नम्बर पर कॉल किया था। उससे पहले कोई पुलिस नहीं आयी थी और न ही हमारे रिश्तेदार शान्ती ने पुलिस को सूचना दी। शान्ती ने पुलिस को सूचना क्यों नहीं दी, इसकी वजह नहीं बता सकता। मैंने नहीं कहा था कि शान्ति पुलिस को फोन करके सूचना दे दें। इस बात की वजह नहीं बता सकता, उस समय मेरा दिमाग ठीक नहीं

था। जब शादी हुई थी, तब मुझे नहीं मालूम कि राकेश के घर में बिजली थी। मुझे नहीं मालूम कि मृतका कितनी बार मायके आयी थी, मुझसे फोन से ही बात हुई थी। दरोगा जी ने घटना वाले दिन ही मेरे बयान लिये थे। जिस समय मैं राकेश के घर आया था, उसके बाद ही मेरे मम्मी पापा व भाई एवं रिश्तेदार आ गये थे। मम्मी, पापा व रिश्तेदार के आने के बाद मैं थाने गया था। मैंने थाने जाकर खुद ही एफ0आई0आर0 करायी थी। मैंने मृतका के गले पर निशान देखे थे, तभी एफ0आई0आर0 करायी थी। एफ0आई0आर0 में दहेज की मांग लिखी है। मेरी एफ0आई0आर0 में भैंस, फ्रिज व 60,000/-रूपये की मांग नहीं लिखी है। मैंने भैंस, फ्रिज व 60,000/-रूपये की बात पुलिस को नहीं बतायी थी। इस घटना से पहले राकेश और मेरे परिवार वालों के बीच में कोई पंचायत नहीं थी। यह कहना गलत है कि राकेश और उसके घरवालों ने दहेज की मांग न की हो।"

13. अभियोजन **साक्षी पी0डब्लू0- 2 कां0 294 ज्योति सिंह** ने अपनी **मुख्य परीक्षा** में सशपथ कथन किया कि, "दिनांक 26.06.2018 को मैं थाना कुन्दरकी में एफ0आई0आर0 क्लर्क के रूप में कार्यरत् थी। मृतका के भाई अरविन्द कुमार थाना कुन्दरकी में लिखित तहरीर लेकर आये थे। उपरोक्त अरविन्द को थानाध्यक्ष महोदय से मिलवाया गया। एस0ओ0 साहब ने अरविन्द कुमार की तहरीर पर मुकदमा पंजीकृत करने का आदेश दिया। मेरे द्वारा तहरीर के आधार पर मु0अ0सं0 204/2018 अन्तर्गत धारा-498ए,304बी आई0पी0सी0 व 3/4 डी0पी0एक्ट बनाम राकेश पुत्र रामकिशोर, रामकिशोर (ससुर), माया देवी (सास) निवासीगण फरेंदीकला थाना कुन्दरकी जिला मुरादाबाद के विरूद्ध मेरे द्वारा बोल-बोलकर कां0 789 सचिन कुमार से सीसीटीएनएस पर दिनांक 26.06.2018 को ही समय 12.39 बजे अंकित करायी जो पत्रावली में पेपर सं0-4/1 व 4/2 के रूप में संलग्न है, तस्दीक करती हूँ जिस पर **प्रदर्श क-3** डाला गया। एफ0आई0आर0 का खुलासा जी0डी0 नं0-25 समय 12.39 दिनांक 26.06.2018 को किया गया जो पत्रावली पर पेपर सं0-4/3 के रूप में संलग्न है, तस्दीक करती हूँ जिस पर **प्रदर्श क-4** डाला गया। इस सम्बन्ध में विवेचक ने मुझसे पूछताछ की थी।" **बचाव पक्ष की ओर से की गयी प्रतिपरीक्षा के दौरान इस साक्षी ने सशपथ कथन किया है कि** "मेरी पुलिस विभाग में ज्वाईनिंग 2016 की है। मेरी पहली पोस्टिंग थाना कुन्दरकी की है। मुझे यह सिखाया जाता है कि हमारे उच्चाधिकारी जो भी लिखित में आदेश देंगे, उसका पालन सुनिश्चित करना है। एफ0आई0आर0 लिखने के जो आदेश होते हैं, वह वादी मुकदमा की तहरीर पर Endorse होने के बाद होते हैं। तहरीर पर एस0ओ0 की Endorsement के बाद ही थाने पर एफ0आई0आर0 दर्ज होती है। इस अभियोग के दर्ज होने से पहले मैंने कौनसे अभियोग की तहरीर कम्प्यूटर पर दर्ज करायी थी, मुझे याद नहीं है। आज मैं मूल जीडी न्यायालय में नहीं लायी हूँ। मुझे तहरीर दिनांक 26.06.2018 को दिन में करीब 12.00 बजे दी गयी थी। यह कहना गलत है कि मैं उस दिन एफ0आई0आर0 लेखक के रूप में उक्त थाने पर तैनात नहीं थी। यह कहना भी गलत है कि मेरे पास कोई व्यक्ति तहरीर लेकर नहीं आया।"

14. अभियोजन **साक्षी पी0डब्लू0- 3 बालेश्वर पुत्र चन्द्रपाल** ने अपनी **मुख्य परीक्षा** में सशपथ कथन किया कि, "मैंने अपनी बेटी मृतका की शादी वर्ष 2017 में दिसम्बर महीने में राकेश पुत्र रामकिशोर निवासी ग्राम फरेंदीकलां थाना कुन्दरकी के साथ हिन्दू रीति रिवाज से की थी। मैंने अपने सामर्थ्य के अनुसार शादी में खर्च किया था लेकिन मेरी बेटी के ससुराल वाले पति राकेश, ससुर रामकिशोर व सास माया देवी दिये गये दान दहेज से खुश नहीं थे और शादी के बाद से ही एक

भैंस, फ्रिज एवं 60,000/-रूपयों की मांग करने लगे। दिनांक 26.06.2018 को लगभग शादी के छः महीने बात मृतका की ससुराल से शान्ति ने हमारे घर फोन किया था कि तुम्हारी बेटी मृतका को उसके पति राकेश, ससुर रामकिशोर तथा उसकी सास माया देवी ने दहेज की खातिर हत्या कर दी है, तब मेरा बेटा व मेरा भाई तथा उसकी पत्नी मृतका की ससुराल गये थे। मैं अपनी बेटी की मौत के गम के कारण नहीं जा पाया था। मेरी बेटी मृतका मायके में जब आती थी तो मुझसे तथा घरवालों से कई बार ससुरालियों के द्वारा फ्रिज, भैंस एवं 60,000/-रूपयों की मांग के बारे में बताती थी। हत्या से दो दिन पहले मेरी बेटी मायके से ससुराल गयी थी। दो दिन बाद ही उसके पति, सास व ससुर ने दहेज न मिलने के कारण मेरी बेटी की हत्या कर दी। मेरी बेटी साढ़े चार महीने की गर्भवती थी। मैंने यह बात पुलिस को दिये गये बयान में बता दी थी।" **बचाव पक्ष की ओर से की गयी प्रतिपरीक्षा के दौरान इस साक्षी ने सशपथ कथन किया है कि** "मैं खेती करता हूँ। मेरे पास 5-6 बीघा जमीन है। यह जमीन मेरी तनखा है। मेरी एक लड़की थी तथा दो लड़के हैं। मेरे बड़े लड़के की उम्र 24 वर्ष तथा छोटे लड़के की उम्र 22 साल है। मेरा बड़ा लड़का दिल्ली में काम करता है तथा दूसरा मेरे साथ रहता है। दिल्ली वाला शादीशुदा है तथा दूसरा जो मेरे साथ है, शादीशुदा नहीं है। मेरे साथ जो लड़का रहता है, वह पढ़ता नहीं है। मेरे व मेरे परिवार की गुजर बसर का जरिया मेरी 5-6 बीघा जमीन है। मृतका पढ़ी लिखी नहीं थी। शादी के समय उसकी उम्र करीब 18 वर्ष थी। मेरी माँ है लेकिन मेरे साथ नहीं रहती है। मेरे अन्य भाई मुझसे अलग रहते हैं। उनका खाना पीना मुझसे अलग है। मेरे पास जो 5-6 बीघा जमीन है, उसमें हमारा गुजारा चलता है। साल के खर्च के बाद तीस चालीस हजार रूपये बच जाते हैं। जब मैंने लड़की की शादी करी, उस समय मेरे पास मोटर साईकिल थी। यह मोटर साईकिल मैंने स्वयं नहीं खरीदी थी बल्कि मुझे लड़के की शादी में मिली थी। शादी में दिये सामान की लिस्ट बनायी थी। मैंने वह लिस्ट दौरान विवेचना पुलिस को नहीं दी थी तथा न ही इस अदालत में दाखिल करी। जिस समय लड़की को मारने की घटना हुई, उस समय मेरे घर में एक मोबाईल फोन मेरे लड़के के पास था। मुझे याद नहीं है कि यह मोबाईल फोन दरोगा जी को दिखाया था या नहीं। मृतका की घटना की सूचना मुझे शान्ति देवी ने दी थी। शान्ति द्वारा दी सूचना मुझे अपने घर पर रात में मिली थी। सूचना मिलने के बाद दोपहर बाद मैं लड़की की ससुराल पहुँचा था तथा मेरे साथ कौन लोग थे, उनके नाम मैं नहीं बता सकता। हम मोटरसाईकिल से गये थे। पुलिस पहले ही आ चुकी थी। लड़के ने बुला ली थी। जब हम पहुँचे तो वहाँ गांव के लोग इकट्ठा थे। मैंने अपनी आँखों से लड़की की लाश देखी थी। मेरी लड़की सलवार कुर्ती पहनी थी। रंग याद नहीं। मुझे याद नहीं कि मृतका का मुँह खुला था या नहीं। मुझे यह भी याद नहीं कि उसकी आँखें खुली थी या नहीं। पुलिस ने मेरा बयान नहीं लिया था। लड़के अरविन्द का बयान लिया था। शादी हुए लगभग 6 माह हुए थे। इन छः माह में मेरी लड़की ससुराल से दो तीन बार आयी थी। हम भी लड़की की ससुराल में दो बार गये। दोनो बार मैं अकेले लड़की की ससुराल गया था। मेरी लड़की अपनी ससुराल से अपने मायके मेरे साथ आयी। लड़की मायके से ससुराल अपने पति के साथ जाती थी। यह कहना सही है कि मैं मौके पर नहीं गया था। मैं खेती बाड़ी करता हूँ, जो दान दहेज की लिस्ट बनी थी वह मैंने दरोगा जी को नहीं दी थी। शान्ति मेरी दूर की बहन लगती है। शान्ति मुरादाबाद में रहती है तथा घटना के वक्त यही रहती थी। लड़की की ससुराल ग्राम फरेंदी, थाना कुन्दरकी की है। शान्ति का मोबाईल नम्बर याद नहीं है। अब से पहले शान्ति का मोबाईल नम्बर किसी को लिखकर नहीं दिया तथा न ही बताया। जब घटना की सूचना घर पर मिली थी, मेरी तबीयत ठीक थी, मैं अपने घर पर था। घटना से दो तीन दिन पहले मेरी लड़की से बात हुई थी।

घटना से 15-20 दिन पहले मेरी ड्यूटी घर पर रही थी। लड़की की ससुराल से मैं होकर आया था। इन 15 दिन में ससुराल वालों से कोई बातचीत नहीं हुई। मेरे घर से घटना से पहले मृतका को उसका पति बुलाकर ले गया था। पति अकेले आये थे। लड़की की ससुराल में एक फोन लड़की पर था, नम्बर नहीं मालूम। उसके पति पर था, उसका नम्बर नहीं मालूम। दौरान विवेचना पुलिस ने मेरा मोबाईल कब्जे में नहीं लिया, न ही दिखाया तथा न ही नम्बर जाना। यह कहना सही है कि आज से पहले या इस अदालत में जो बयान दिया कितने रूपये मांगे किसी को नहीं बताया। अरविन्द मेरा लड़का पढ़ा लिखा है, मेरे बेटे अरविन्द ने जो थाने में रपट करायी थी उसके बारे में वही जाने। मेरे बेटे ने प्रथम सूचना रिपोर्ट में लिखाया कि गला दबाकर हत्या कर दी व बेल्टों से जमकर पिटाई की, यह बात सही लिखवायी। मैं नहीं बता सकता कि घटना के बारे में सूचना पहले मेरे पास आयी या मेरे लड़के अरविन्द पर। घटना के बाद कभी भी मैं तथा मेरे घर का कोई आदमी लड़की की ससुराल नहीं गया। मैं जहाँ पोस्टमार्टम हुआ था, वहाँ गया था। वहाँ पर कोई दो चार लोग थे, वहाँ गांव का कोई लोग नहीं था। मेरे सामने कोई पंचायतनामा नहीं भरा गया, इस कारण मैंने मृतका को नहीं देखा था। यह कहना गलत है कि मृतका को उसके पति व ससुराल वालों ने दहेज की मांग को लेकर नहीं मारा। यह कहना भी गलत है कि कभी भी मुल्जिमान ने दहेज की मांग नहीं की तथा न लड़की को प्रताड़िता किया, न उसके साथ मारपीट की तथान ही उसकी हत्या की। यह कहना गलत है कि मृतका अपनी ससुराल में हंसी खुशी रहती थी। यह कहना भी गलत है कि मैं लड़की का पिता होने के नाते झूठी गवाही दे रहा हूँ। मरने से थोड़े दिन पहले पता चला था कि वह गर्भवती है। लड़की को कोई बीमारी नहीं थी। यह कहना गलत है कि शक में प्रथम सूचना रिपोर्ट लिखायी हो। यह कहना गलत है कि मृतका ने धोखे से जहर पी लिया हो, उसी से उसकी मृत्यु हो गयी हो और गिर जाने के कारण उसके चोटे आयी हो। यह कहना गलत है कि इस घटना में मुल्जिमान का कोई हाथ नहीं हो।"

15. अभियोजन **साक्षी पी0 डब्लू0- 4 रामेश्वर** ने अपनी **मुख्य परीक्षा** में सशपथ कथन किया कि, "मैं मृतका का चाचा हूँ। उसकी शादी ग्राम फरेंदीकला में राकेश के साथ हुई थी। मेरे भाई ने मृतका की शादी में अपनी सामर्थ्य के अनुसार दान दहेज दिया था। शादी वर्ष 2017 में हुई थी। मेरी भतीजी के ससुराल वाले दिये गये दान दहेज से खुश नहीं थे और आये दिन मेरी भतीजी को प्रताड़ित करते थे और रूपयों की मांग करते थे। मेरी भतीजी ने मुझे कई बार इस सम्बन्ध में बताया था। दिनांक 26.06.2018 को मृतका की ससुराल से हमारे दूर की रिश्तेदार शान्ति का फोन आया था कि मृतका की ससुरालवालों ने दहेज के लिए मृतका की हत्या कर दी है तब मैं व मेरा भतीजा अरविन्द व मेरी पत्नी पायल फरेंदी गये थे तब देखा कि मेरी भतीजी की लाश आंगन में पड़ी थी। पुलिस आ गई थी। उस समय वहाँ पर मृतका के ससुराल वाला कोई नहीं था। मेरी भतीजी मृतका के चेहरे पर ठोडी पर तथा ठोडी के नीचे चोट के निशान थे। मेरे सामने मजिस्ट्रेट साहब ने पंचायतनामा भरा था तथा मेरे भी पंचायतनामे पर हस्ताक्षर करवाये थे तथा मेरी भतीजी मृतका के शव को कपड़ों में रखकर सील सर्वे मोहर कर पोस्टमार्टम के लिए मुरादाबाद भेजा था। पत्रावली में संलग्न पेपर सं0-5/5 ता 5/6 पंचायतनामा पर साक्षी ने अपने हस्ताक्षर को तस्दीक किया, जिस पर प्रदर्श क-2 पूर्व में डाला जा चुका है। मैंने यह सब बाते पुलिस को बताई थी।" **बचाव पक्ष की ओर से की गयी प्रतिपरीक्षा के दौरान इस साक्षी ने सशपथ कथन किया है कि** "यह बात सही है कि मैं दिल्ली में रह रहा हूँ। मेरे भाई ने मेरी भतीजी मृतका की शादी कौन से सन् में की थी, यह मुझे

याद नहीं है। जिस समय मेरी भतीजी मृतका की मृत्यु हुई थी तब भी मैं दिल्ली में था, मुझे मृतका की मृत्यु की सूचना मेरे भतीजे ने दी थी। मृतका की मृत्यु की सूचना पाकर मैं और अरविन्द मृतका की ससुराल गये थे। दिनांक 26.06.2018 को मैं सुमन की ससुराल समय करीब सुबह पांच बजे पहुँच गया था। जब मैं ससुराल पहुँच गया तो वहाँ पुलिस नहीं आयी थी। अरविन्द के फोन करने पर पुलिस आयी थी। फोन करने के आधा या एक घण्टा बाद पुलिस आयी थी। अरविन्द ने पुलिस को जब फोन किया था तब मैंने समय नहीं देखा था। मेरे सामने पुलिस ने लिखत पढ़त की थी। पुलिस की लिखत का समय ध्यान नहीं है। पुलिस ने मुझसे कोई राय ली या नहीं, मुझे याद नहीं क्योंकि मैं बहुत रो रहा था। पुलिस ने मुझसे कुछ कागजों पर हस्ताक्षर कराये या नहीं, यह मुझे याद नहीं। मैं पंचनामे का गवाह था। पंचनामा मेरे सामने भरा गया था। पंचनामे के गवाह एक मेरा भतीजा अरविन्द था और गवाहों का मुझे ध्यान नहीं है। पुलिस ने मेरा बयान लिया था। मृतका की मृत्यु के बाद ही पुलिस ने मेरा बयान लिया था। दिल्ली में कब से काम करता हूँ, मुझे याद नहीं है। मेरे सगे भाई गांव में रहते हैं, मैं दिल्ली में रहता हूँ। जब मेरी भतीजी की मृत्यु हुई तब भी मैं दिल्ली में था। मृतका की शादी के दौरान भी मैं दिल्ली में रहता था। मृतका की शादी वाले दिन तथा मृत्यु वाले दिन मैं गांव में आया था। शादी के बाद मृतका मेरे घर दिल्ली में कभी नहीं गई। यह कहना गलत है कि मृतका मेरी सगी भतीजी होने के कारण मैं आज न्यायालय में झूठी गवाही दे रहा हूँ।"

16. अभियोजन **साक्षी पी0 डब्लू0- 5 डॉक्टर निर्मल ओझा** ने अपनी **मुख्य परीक्षा** में सशपथ कथन किया कि, "दिनांक 26.06.2018 को मैं पोस्टमार्टम ड्यूटी पर तैनात था। उस दिन मेरे व टीम द्वारा श्रीमती मृतका (मृतका) उम्र 20 वर्ष पत्नी राकेश निवासिनी फरेन्दीकलां थाना कुन्दरकी जिला मुरादाबाद का शव विच्छेदन किया गया। शव को सील्ड अवस्था में तहसीलदार बिलारी, मुरादाबाद द्वारा रेफर किया गया था। सील्ड सही पायी गयी। शव की पहचान एवं लाने वाले पुलिसकर्मी सीआर नं0-2173 शदाब एवं महिला कांस्टेबल 2322 कु0 अंजू थाना कुन्दरकी लेकर के आये थे। शव की पहचान अरविन्द कुमार पुत्र बालेश्वर, रामेश्वर पुत्र चन्द्रपाल दोनों निवासी गांव गुगौआ थाना उधैती जिला बदायूँ द्वारा की गयी। शव की लम्बाई 165 सेमी व मध्यम कद काठी की थी। शव की अकड़न गर्दन से निकल गयी थी। शरीर के ऊपरी व निचले हिस्से में अकड़न मौजूद थी। आँख व मुँह बंद थे। आंखे कन्जेस्टेड थी, नाखून नीले थे। दांत 16/16 थे, चेहरा भी कन्जेस्टेड था। झाग के साथ सना हुआ खून शव को टेड़ा करने पर दाहिनी नासिका द्वारा निकल रहा था। मृत्यु पूर्व चोटे- 1. Abraded contusion 2x1 cm दाहिनी तरफ चेहरे पर जबड़े के निचले हिस्से पर थी, 2. Abraded contusion 1x0.2x4 cm ठोडी से नीचे बीच में थी, 3. Abraded contusion 2x1 cm ठोडी से 5 सेमी नीचे और 1.5 सेमी बायी तरफ इंजरी नं0-2 से बाहर की तरफ थी, 4. Abraded contusion 1x1 cm दाहिने घुटने पर सामने की ओर थी, 5. Abraded contusion 1.5x1 cm दाहिनी ओर बाहर की तरफ इंजरी नं0-4 से 01.5 सेमी दूर थी। शव विच्छेदन के उपरान्त मस्तिष्क, निकेल, दोनों फेफड़े, यकृत (लीवर), प्लीहा तथा दोनों गुर्दे कन्जेस्टेड थे। हाडवॉन, ग्रीवा के आन्तरिक ऊतक सामान्य थे। आमाशय में लगभग 100 एम 0 एल 0 धुंधला कत्थई पदार्थ मौजूद था तथा हल्की गंद थी तथा आमाशय की न्यूकोसा कन्जेस्टेड थी। मृतका गर्भवती थी, उसके गर्भ में लड़के (मेल) का भ्रूण था, जिसकी लम्बाई 20 सेमी तथा वजन 150 ग्राम था। उसकी भ्रूण अवस्था की उम्र साढ़े चार महीने की थी। मृत्यु का समय लगभग एक दिन पुराना था। मृत्यु का सही कारण जानने हेतु विसरा कैमिकल परीक्षण हेतु प्रेषित किया गया। पत्रावली में संलग्न पेपर सं0-5/24 ता

5/9 मूल पी0 एम 0 आर 0 मृतका को देखकर साक्षी ने कहा कि यह पी0 एम 0 आर 0 मेरे एवं डॉ0 शशी कुमार द्वारा संयुक्त रूप से की गयी है। यह मेरे लेख व हस्ताक्षर में है, तस्दीक करता हूँ, जिस पर **प्रदर्श क-5** डाला गया।" **बचाव पक्ष की ओर से की गयी प्रतिपरीक्षा के दौरान इस साक्षी ने सशपथ कथन किया है कि** "यह बात सही है जो मैंने मृत्यु का समय एक दिन पूर्व का बताया है, उसमें 8-10 घण्टे का अन्तर हो सकता है। यह बात सही है कि मृत्यु का कारण पोस्टमार्टम करते समय पूर्णतः स्पष्ट नहीं था इसलिए सम्भावित पोईजिन की वजह से विसरा रसायनिक परीक्षण हेतु सुरक्षित रख दिया था। मृतकाके आमाशय में जो पदार्थ मौजूदथा, उसका विवरण मुख्य परीक्षा में लिखा दिया है। मुख्य परीक्षा में 100 एम.एल. द्रव्य पदार्थ मृतका के आमाशय में था। यह बताना सम्भव नहीं है कि मृतका ने मृत्यु से कितने घण्टे पहले खाना खाया था। द्रव्य पदार्थ कोई चीज आमाशय में जाती है तो उसके रिएक्शन में सैकरीन होते है। सामन्यता भी सैकरीन होते हैं। यह बात सही है कि मृतका के शरीर पर सभी चोटे साधारण प्रकृति की थी। इन वाहय चोटों से मृत्यु होना संभव नहीं है। यदि मृतका ट्रैक्टर ट्राली से अस्पताल लाने से यदि सड़क में गढढे हो तो यह चोट लगभग नहीं आ सकती है। मृतका की पहचान परिवार वालों ने करी थी, नाम मुख्य परीक्षा में अंकित है। यह बात सही है कि यदि ट्रैक्टर ट्राली अन्दर से कटी फटी यानि टूटी फूटी हो तो यह चोट लगभग आना संभव है। चोटे कितने घण्टे पुरानी है, (मृत्यु पूर्व वाली) हम पोस्टमार्टम में अंकित नहीं करते हैं।"

17. अभियोजन **साक्षी पी0 डब्लू0- 6 (तत्कालीन तहसीलदार) श्री राजेश कुमार** ने अपनी **मुख्य परीक्षा** में सशपथ कथन किया कि, "दिनांक 26.06.2018 को मैं तहसीलदार, बिलारी के पद पर तैनात था। उक्त दिनांक को मेरे द्वारा मृतका श्रीमती मृतका पत्नी श्री राकेश निवासी फरेंदीकला थाना कुन्दरकी, जिला मुरादाबाद उम्र करीब 20 वर्ष का पंचायतनामा उपनिरीक्षक संजय सिरोही थाना कुन्दरकी से बोल बोलकर लिखवाया गया था। पंचांग नियुक्त कर उनकी राय के मुताबिक मृत्यु का कारण स्पष्ट न होने के कारण पोस्टमार्टम हेतु शव भेजा गया था। पंचायतनामे की कार्यवाही के दौरान नियुक्त पंचांग के हस्ताक्षर पंचायतनामे पर कराये गये थे तथा उनकी राय भी अंकित की गयी थी। मैंने भी अपनी राय अंकित की थी। मेरी राय में मृतका की मृत्यु गले में फन्दे के कारण होना प्रतीत हो रही थी तथा पंचों की राय में भी मृत्यु गला दबाकर हत्या की थी। अतः मृत्यु का सही कारण स्पष्ट करने हेतु मृतका के शव को पोस्टमार्टम हेतु भेजा। मृतका के बाये कान पर नीलगू निशान, गर्दन पर नीलगू निशान, कमर पर नीलगू निशान तथा नाक से लाल रंग का पानी निकल रहा था। दौराने पंचायतनामा समस्त कागजात मेरी मौजूदगी में तैयार किये गये तथा मेरे द्वारा हस्ताक्षर किये गये। पत्रावली में संलग्न मूल पंचायतनामे को देखकर साक्षी ने कहा कि इस पर मेरे हस्ताक्षर है, तस्दीक करता हूँ। इस पर प्रदर्श क-2 पूर्व से पड़ा है। चिट्ठी सी0 एम 0 ओ 0 पर **प्रदर्श क-6**, चिट्ठी R-1 पर **प्रदर्श क-7**, फोटोनाश पर **प्रदर्श क-8**, नमूना मोहर पर **प्रदर्श क-9**, चालान नाश पर **प्रदर्श क-10** डाले गये। इस संबंध में विवेचक ने मेरा बयान अंकित किया था।" **बचाव पक्ष की ओर से की गयी प्रतिपरीक्षा के दौरान इस साक्षी ने सशपथ कथन किया है कि** "मैंने पंचनामे की कार्यवाही दिनांक 26.05.2018 को समय 07.40 बजे की थी। आज खुद कहा कि दिनांक 26.06.2018 को की थी। कितने बजे तक पंचनामे की कार्यवाही चली, यह मुझे सही-सही पता नहीं है। लगभग एक-डेढ घण्टे तक चली थी। मुझे प्रभारी निरीक्षक सम्बन्धित द्वारा सूचना प्राप्त हुई थी। मुझे कन्ट्रोल रूम से सूचना प्राप्त नहीं हुई थी। पंचनामे की पूरी कार्यवाही मेरे निर्देशन में श्री संजय

सिरोही द्वारा लिखी गयी थी। कार्यवाही मैंने बोल-बोलकर करायी थी। पंचनामे में अपराध संख्या नहीं लिखा गया था। पंचनामे पर मुल्जिमानों के नाम नहीं लिखे हैं। मैंने पंच नियुक्तों की राय ली थी। पंचों ने अपनी राय में बताया था कि मृतका की मृत्यु गला दबाकर की गयी थी। यह बात सही है कि मैंने अपनी राय में लिखा है कि मृतका की मृत्यु गले में फन्दे के कारण होना प्रतीत होती है। पंचनामा दरोगा जी के हस्तलेख में है, इस पर मेरे हस्ताक्षर हैं।"

18. अभियोजन **साक्षी पी0 डब्लू0- 7 (रिटायर्ड क्षेत्राधिकारी) रणधीर सिंह** ने अपनी **मुख्य परीक्षा** में सशपथ कथन किया कि, "क्षेत्राधिकारी बिलारी के पद पर तैनाती के दौरान मुझे मु0 अ 0 सं0-204/2018 धारा 498 ए, 304 बी भा0 द 0 स 0 व 3/4 दहेज प्रतिषेध अधिनियम की विवेचना प्राप्त हुई। जिसके वादी श्री अरबिन्द पुत्र बालेश्वर थे। मेरे द्वारा दिनांक 26.06.2018 को नकल चिक, नकल रपट, बयान एफ.आई.आर. लेखक बयान वादी अंकित किये तथा वादी की निशानदेही पर निरीक्षण घटनास्थल किया तथा मौके पर नक्शा-नजरी तैयार की। नक्शा-नजरी पत्रावली में पेपर संख्या-5/30 के रूप में संलग्न है मेरे हस्तलेख में है जिस पर मेरे हस्ताक्षर है, तस्दीक करता हूं। इस पर **प्रदर्श क-11** डाला गया। दिनांक 27.06.2018 को अभियुक्तगण के मसकन पर दबिश के संबंध में पर्चा किता किया। दिनांक 28.06.2018 को अभियुक्तगण राकेश रामकिशोर एवं माया देवी को गिरफ्तार कर उनके बयान अंकित किये तथा रिमाण्ड स्वीकृत कराया। दिनांक 30.06.2018 को गवाह श्रीमती शान्ति पत्नी रामकुंवर, पायल एवं रामेश्वर तथा बालेश्वर के बयान अंकित किये। दिनांक 01.07.01.2018 को मृतका श्रीमती मृतका पत्नी राकेश के पंचायतनामे की नकल एवं पी0 एम 0 की नकल सीडी0 में की गयी। दिनांक 03.07.2018 को मृतका का विसरा परीक्षण हेतु एफएसएल दाखिल कराया गये के संबंध किता किया गया। दिनांक 05.07.2018 को पंचायत नामे के गवाहन वीरेन्द्र भगीरथ विजय के बयान अंकित किये। दिनांक 18.07.2018 को विधि विज्ञान प्रयोगशाला मुरादाबाद से प्राप्त स्मृति की नकल किता की गयी। दिनांक 05.08.2018 को स्मृति पत्र-2 जिसमें परीक्षण रिपोर्ट प्राप्त करने हेतु स्मृति पत्र भेजा गया पत्र प्रेषित किया। तदोपरांत मुकदमें की विवेचना क्षेत्राधिकारी वीरपाल सिंह के सुपुर्द की गयी। मैंने उनको लिखते-पढ़ते देखा है। उनकी मृत्यु हो चुकी है। संकलित साक्ष्य के आधार पर क्षेत्राधिकारी वीरपाल सिंह द्वारा उक्त मुकदमें में अभियुक्तगण राकेश, रामकिशोर, श्रीमती मायादेवी के विरूद्ध अंतर्गत धारा-498 ए, 304 बी,315,328 भा0 दं0 संहिता व 3/4 दहेज प्रतिषेध में आरोप पत्र दिनांक 06.09.2018 को माननीय न्यायालय में प्रेषित किया गया। पत्रावली में पेपर संख्या-3/1 ता 3/8 आरोप पत्र पर क्षेत्राधिकारी वीरपाल सिंह के हस्ताक्षर हैं, पहचानता हूं, तस्दीक करता हूं। इस पर **प्रदर्श क-12** डाला गया।" **बचाव पक्ष की ओर से की गयी प्रतिपरीक्षा के दौरान इस साक्षी ने सशपथ कथन किया है कि** "इस घटना के दौरान बिलारी में क्षेत्राधिकारी की निश्चित अवधि मुझे याद नहीं है। मुझे इस केस की विवेचना दिनांक 26.06.2018 को मिली थी। घटनास्थल को मैं दिनांक 26.06.2018 को गये थे। समय का निश्चित ध्यान नहीं है। घटनास्थल पर मैं हमराही कर्मचारीगण के साथ गया था। मुआयना मैंने अकेले ने ही किया था। घटनास्थल पर ग्राम वासी एक दो थे उनका नाम मुझे याद नहीं है। घटनास्थल पर दो-तीन कमरे थे। मैं निश्चित नहीं बता सकता। घटनास्थल के पूर्व में त्रिमल का मकान है पश्चिम में महेश का मकान, दक्षिण में प्रेमपाल और उत्तर में दुर्जन का मकान है। मेरे द्वारा मृतका का कमरा नहीं दर्शाया गया है। क्योंकि घटनास्थल वाला पूरा मकान ही मृतका का था। मृतका का शव बरामदे में था। यह बात सही है कि मृतका की सास माया देवी की की

उम्र 70 वर्ष है। मैंने वादी अरबिन्द, शान्ति, चाचा बालेश्वर, चाची पायल का बयान अंकित किये थे। वादी मुकदमा का बयान दिनांक 26.06.2018 को लिखा था। अन्य गवाहो के बयान कब लिखे थे मुझे याद नहीं है। इस केस की विवेचना मुझे 05.08.2018 पर्चा-9 तक को स्थानातंरण हो गयी थी उसके बाद इस केस की विवेचना क्षेत्राधिकारी वीरपाल सिंह को सुपुर्द की गयी थी। वीरपाल मेरे साथ मुरादाबाद में रहे हैं। मेरे बाद उन्होंने घटनास्थल का निरीक्षण किया या नहीं किया मैं नहीं बता सकता। उन्होंने मेरी सीडी का अवलोकन किया या नहीं किया मैं नहीं बता सकता। मैंने पर्चा 1 से 9 मेरे बोलने पर किता किये गये हैं। क्षेत्राधिकारी वीरपाल ने किन किन के बयान लिये मैं नहीं बता सकता। मृतका को उसके सभी ससुरालीजन दहेज के लिए प्रताड़ित करते थे। थाने से तहसीलदार साहब को पंचनामे के लिए सूचना गयी थी। आरोप पत्र दूसरे विवेचक द्वारा किस तिथि को माननीय न्यायालय में प्रेषित किया मुझे नहीं पता, लेकिन देख कर बता सकता हूं। मृतका के पति के कितने भाई थे, मुझे जानकारी नहीं है। मृतका का पति राकेश का भाई नरेश उसी घर में रहता था या नहीं इसकी मुझे जानकारी नहीं है। नरेश का घर राकेश के घर के बराबर में है या नहीं मुझे इस समय याद नहीं है। यह बात सही है कि मृतका के पोस्टमार्टम में कारण स्पष्ट न होने के कारण विसरा प्रिजर्व किया गया था। उसे मेरे द्वारा दिनांक 03.07.2018 को प्रयोग के लिए भेजा गया था। यह मुझे ध्यान नहीं है कि राकेश के माता-पिता नरेश के साथ रहते थे। पंचायतनामा सुबह के समय भरा गया था, देखकर कर बता सकता हूं। मृतका के सास ससुर राकेश के भाई नरेश के साथ रहते थे। यह कहना गलत है कि मेरे द्वारा वादी के दबाव में झूठा आरोप पत्र माननीय न्यायालय में प्रेषित किया गया हो। यह कहना गलत है कि मैं घटनास्थल पर न गया हो और समस्त कार्यवाही अपने ऑफिस में बैठकर की हो।"

19. अभियोजन साक्ष्य पूर्ण होने के उपरान्त अभियुक्तगण के बयान अन्तर्गत धारा-313 सीआर0 पी0 सी0 अंकित किये गये, तत्पश्चात् अभियुक्तगण की ओर से बचाव साक्ष्य में डी0 डब्लू0-1 के रूप में राजकुमार पुत्र श्री रामगोपाल एवं डी0 डब्लू0-2 के रूप में प्रेमपाल पुत्र श्री तुलसीराम को परीक्षित कराया गया।

20. बचाव **साक्षी डी0 डब्लू0- 1 राजकुमार पुत्र श्री रामगोपाल** ने अपनी **मुख्य परीक्षा** में सशपथ कथन किया कि, "मैं राकेश का पड़ोसी हूँ तथा मेरा घर राकेश के घर के बराबर में है। राकेश की शादी हिंदू रीति रिवाज के अनुसार श्रीमती मृतका के साथ हुयी थी। शादी में जो भी उपहारस्वरूप सामान मिला था, उससे मृतका के ससुराल वाले खुश थे। शादी से पहले व शादी के बाद मृतका की ससुराल वालों ने अतिरिक्त दहेज की कोई माँग मृतका (मृतका) व उसके मायके वालों से नहीं की। मृतका को अतिरिक्त दहेज के लिए कभी भी उसके ससुराल वालों ने मानसिक और शारीरिक रूप से परेशान नहीं किया। मृतका अपनी ससुराल में राजी खुशी रहती थी। राकेश की मृतका से शादी के बाद राकेश ने अपने पिता रामकिशोर व माता श्रीमती माया देवी को अपने घर से निकाल दिया था। यह अपने बड़े लड़के नरेश के पास पंडितनगला की मिलक (गांगन) पर रहती थी तथा 15-20 दिन में एक-दो घंटे के लिए खेती-बाडी देखने के लिए चले जाते थे। घटना के समय मृतका के सास ससुर ग्राम फरेंदी में नहीं थे। अपने बड़े लड़के नरेश के पास पंडित नगला की मिलक में थे। घटना से 6-7 दिन पहले श्रीमती मृतका बुखार से पीडित थी और उसका इलाज डॉक्टर से चल रहा था। श्रीमती मृतका (मृतका) ने दवाई के धोखे में फसलों पर छिड़कने वाला कीटनाशक धोखे से पी लिया था। इसके बाद उसका पति व मौहल्ले के लोग डॉक्टर के पास ट्रैक्टर ट्रॉली से

लेकर गये। डॉक्टर ने श्रीमती मृतका को देखते ही मृत घोषित कर दिया था।" **अभियोजन पक्ष की ओर से की गयी प्रतिपरीक्षा के दौरान इस साक्षी ने सशपथ कथन किया है कि** "मुझे अदालत का कोई सम्मन नहीं मिला। रामकिशोर के लड़के के कहने पर आज में अदालत में आया हूँ। मेरा घर राकेश के घर से 20-25 कदम दूर है। मैं ब्राह्मण जाति का हूँ। राकेश दिवाकर है। मेरा राकेश के घर कोई आना जाना नहीं है। इनके घर क्या हो रहा है, क्या नहीं हो रहा, मुझे नहीं पता। राकेश के दादा का नाम मुझे नहीं पता। राकेश की शादी कब हुयी मुझे नहीं पता। राकेश की शादी गाँव निबऊआ जिला बदायूँ से हुयी थी। कौन सा थाना लगता है, मुझे नहीं पता। मुझे नहीं पता कि राकेश कौन सी तारीख को खत्म हुआ है। रामकिशोर का गाँव में एक ही मकान है। रामकिशोर की पत्नी और राकेश की बहू में कोई बातचीत होती थी या नहीं, मुझे नहीं पता। रामकिशोर हमारे यहाँ के वोटर हैं। इनका राशन कार्ड भी गाँव का बना हुआ है। यह कहना गलत है कि रामकिशोर अपनी पत्नी के साथ नरेश के घर न रहते हों। यह कहना गलत है कि आज मैं रामकिशोर और उसके बेटे नरेश के कहने में आकर उनको बचाने के लिए बयान दे रहा हूँ।"

21. बचाव **साक्षी डी0 डब्लू0- 2 प्रेमपाल पुत्र श्री तुलसीराम** ने अपनी **मुख्य परीक्षा** में सशपथ कथन किया कि, "राकेश की शादी हिंदू रीति रिवाज के अनुसार श्रीमती मृतका के साथ हुयी थी। मैं राकेश का पडोसी हूँ तथा मेरा घर राकेश के घर के बिल्कुल पास में है। शादी में जो भी उपहारस्वरूप सामान मिला था, उससे मृतका के ससुराल वाले खुश थे। शादी से पहले व शादी के बाद मृतका की संसुराल वालों ने अतिरिक्त दहेज की कोई माँग मृतका (मृतका) व उसके मायके वालों से नहीं की। मृतका को अतिरिक्त दहेज के लिए कभी भी उसके ससुराल वालों ने मानसिक और शारीरिक रूप से परेशान नहीं किया। मृतका अपनी ससुराल में राजी खुशी रहती थी। राकेश की मृतका से शादी के बाद राकेश ने अपने पिता रामकिशोर व माता श्रीमती माया देवी को अपने घर से निकाल दिया था। वह अपने बड़े लड़के नरेश के पास पंडितनगला की मिलक (गांगन) पर रहती थी तथा 10-15 दिन में एक-दो बार खेती-बाड़ी देखने के लिए चले जाते थे। घटना के समय मृतका के सास ससुर ग्राम फरेंदी में नहीं थे। अपने बड़े लड़के नरेश के पास पंडित नगला की मिलक में थे। घटना से लगभग 10 दिन पहले श्रीमती मृतका को बुखार आ रहा था और उसका इलाज डॉक्टर से चल रहा था। दवाई के धोखे में फसलों पर छिड़कने वाला कीटनाशक श्रीमती मृतका ने धोखे से पी लिया था। इसके बाद उसका पति व गाँव के लोग डॉक्टर के पास ट्रैक्टर ट्रॉली से लेकर गये। डॉक्टर ने श्रीमती मृतका को देखते ही मृत घोषित कर दिया था।" **अभियोजन पक्ष की ओर से की गयी प्रतिपरीक्षा के दौरान इस साक्षी ने सशपथ कथन किया है कि** "मुझे अदालत का कोई सम्मन नहीं मिला। रामकिशोर के लड़के के कहने पर आज मैं अदालत में आया हूँ। मेरा घर राकेश के घर के बराबर में है। मैं कश्यप जाति का हूँ। राकेश दिवाकर है। मैं राकेश की शादी में गया था। तारीख मुझे ध्यान नहीं है। राकेश की शादी कौन से से हुयी थी, मुझे याद नहीं है। कौन सा थाना लगता है, मुझे नहीं पता। मुझे नहीं पता कि मृतका कौन सी तारीख को खत्म हुई है। रामकिशोर का गाँव में एक ही मकान है। राकेश की शादी से पहले पूरा परिवार उसी मकान में रहता था। रामकिशोर की पत्नी और राकेश की बहू में कोई बातचीत होती थी या नहीं, मुझे नहीं पता। रामकिशोर हमारे यहाँ के वोटर हैं। इनका राशन कार्ड भी गाँव का बना हुआ है। यह कहना गलत है कि रामकिशोर अपनी पत्नी के साथ नरेश के घर न रहते हों। यह कहना गलत है कि आज में रामकिशोर और उसके बेटे नरेश के कहने में आकर उनको बचाने के लिए बयान दे रहा हूँ।"

समीक्षा एवं निष्कर्ष

22. इस मामले में अभियोजन द्वारा अभियुक्तगण पर यह आरोप लगाया गया है कि उन्होंने मृतका की हत्या कर दी। हत्या से 2 दिन पूर्व ही मृतका ससुराल गयी थी। हत्या करने के बारे में तहरीर में यह भी आरोप लगाया है कि मृतका के पति राकेश, ससुर रामकिशोर, सास माया देवी ने मिलकर दहेज के लिए मृतका की तीनों लोगों ने मिलकर गला दबाकर हत्या कर दी और उसकी बैल्टों से जमकर पिटाई की थी। उसका शरीर पूरा नीला पड़ गया है।

23. इस कथानक को साबित करने के लिए पी0 डब्लू0-1 के रूप में मृतका का भाई अरविन्द परीक्षित हुआ, उसने अपनी मुख्य परीक्षा में अभियोजन कथानक का समर्थन किया व कहा कि *"दहेज में एक भैंस, एक फ्रिज या 60 हजार रुपये की मांग करते थे। दिनांक 26.06.2018 को रात में लगभग 2 बजे हमारे पास मेरी बहन मृतका (मृतका) के ससुराल में रहने वाली शान्ति का फोन आया। शान्ति ने फोन पर बताया कि तुम्हारी बहन मृतका को उसके पति राकेश, ससुर रामकिशोर व सास माया देवी ने दहेज की मांग पूरी न होने के कारण उसकी हत्या कर दी है। इस सूचना पर मैं, मेरे चाचा रामेश्वर व चाची पायल सुबह 7 बजे के करीब अपनी बहन मृतका (मृतका) के ससुराल पहुंच गये। वहां देखा कि मेरी बहन मृतका (मृतका) की लाश घर के बरामदे में पड़ी थी। उसका पूरा शरीर नीला पड़ा हुआ था तथा शरीर पर जगह-जगह चोटों के निशान थे।"* तथा घटना की रिपोर्ट व राय पंचायतनामे को साबित किया। जिरह में बताया कि *"मैं देहली में नौकरी करता हूँ। मेरे पिताजी बालेश्वर एक किसान है। मुझे नहीं मालूम कि कितने बीघा जमीन है। यह रिश्ता हमारे रिश्तेदारों ने कराया था। जून, 2018 में शीला के बड़े बेटे बलवीर की शादी हुई थी। उस घटना से दो दिन पहले बलवीर की शादी में मैं नहीं गया था। उस शादी में मृतका गयी थी। शादी में राकेश गया था। राकेश मृतका को अपने साथ ले गया था। शान्ति बुआ जी के रिश्ते में लगती है। आज से पहले जो मैंने बयान दिये हैं, वह वकील साहब के कहने पर दिये थे। जिस समय शान्ती ने फोन किया था तब मैं दिल्ली में था। सुबह 07.00 बजे मैं राकेश के गांव पहुँच गया था। मैंने 100 नम्बर पर कॉल किया था। उससे पहले कोई पुलिस नहीं आयी थी और न ही हमारे रिश्तेदार शान्ती ने पुलिस को सूचना दी। मुझे नहीं मालूम कि मृतका कितनी बार मायके आयी थी, मुझसे फोन से ही बात हुई थी। दरोगा जी ने घटना वाले दिन ही मेरे बयान लिये थे। जिस समय मैं राकेश के घर आया था, उसके बाद ही मेरे मम्मी पापा व भाई एवं रिश्तेदार आ गये थे। मम्मी, पापा व रिश्तेदार के आने के बाद मैं थाने गया था। मैंने खुद ही एफ0 आई0 आर0 करायी थी। मेरी एफ0 आई0 आर0 में भैंस, फ्रिज व 60,000/- रूपये की मांग नहीं लिखी है। मैंने भैंस, फ्रिज व 60,000/-रूपये की बात पुलिस को नहीं बतायी थी।"*

इस प्रकार घटना के बाद यह साक्षी सर्वप्रथम घटनास्थल पर अपने चाची चाचा के साथ पहुँचा था। मृतका के माता पिता बाद में आये थे। यह तथ्य इस साक्षी ने स्वीकार किया है कि तहरीर में भैंस, फ्रिज व 60 हजार रूपये की मांग की बात नहीं लिखी है व पुलिस को भी यह बात नहीं बतायी थी। इससे यह स्पष्ट होता है कि यह बात प्रथम बार न्यायालय में बतायी गयी है। शादी से पूर्व मृतका के साथ दहेज की मांग की जाती थी, यह मुख्य परीक्षा में इस साक्षी ने बताया है परन्तु जिरह में बताया कि *"मुझे नहीं मालूम कि मृतका कितनी बार मायके आयी थी, मुझसे फोन से ही बात होती थी।"* पहले कभी कोई इस आशय की शिकायत मृतका के भाई द्वारा की गई हो, ऐसा बयान इस साक्षी ने नहीं दिया है बल्कि यह बताया है कि *"इस घटना से पहले राकेश और उसके परिवार*

वालों के बीच में कोई पंचायत नहीं हुई" यदि ऐसी कोई मांग की जाती तो यह संभावित था कि इस बारे में दोनों परिवारों के मध्य बातचीत की जाती बल्कि इस साक्षी ने अपने बयान में बताया कि बुआ शीला के बड़े बेटे बलवीर की शादी घटना से 2 दिन पूर्व हुई थी और उस शादी में वह नहीं गया था, मृतका गई थी। मृतका को लेकर अभियुक्त राकेश, जिसके कि विरूद्ध वाद की कार्यवाही उसकी मृत्यु हो जाने के कारण उपशमित हो चुकी है, लेकर गया था और यह भी बताया कि उस शादी से 2 दिन पूर्व ही मृतका ससुराल गई थी। इन दो दिनों में मृतका के साथ दहेज की मांग को लेकर क्या कहासुनी हुई, यह इस साक्षी की साक्ष्य से स्पष्ट नहीं है।

24. **पी0 डब्लू0- 3 बालेश्वर** मृतका का पिता है जिसने अपनी मुख्य परीक्षा में बताया कि *"शादी के बाद से ही पति राकेश, ससुर रामकिशोर व सास माया देवी भैंस, फ्रिज एवं 60,000/- रूपयों की मांग करने लगे और उसकी दहेज की खातिर हत्या कर दी है। दिनांक 26.06.2018 को लगभग शादी के 6 महीने बाद मृतका की ससुराल से शान्ती ने हमारे घर पर फोन किया कि तुम्हारी बेटी मृतका को उसके पति राकेश, ससुर रामकिशोर तथा उसकी सास माया देवी ने दहेज की खातिर हत्या कर दी है, तब मेरा बेटा व मेरा भाई तथा उसकी पत्नी मृतका की ससुराल गये थे। मैं अपनी बेटी की मौत के गम के कारण नहीं जा पाया था। मेरी बेटी मृतका मायके में जब आती थी तो मुझसे तथा घरवालों से कई बार ससुरालियों के द्वारा फ्रिज, भैंस एवं 60,000/-रूपयों की मांग के बारे में बताती थी। हत्या से दो दिन पहले मेरी बेटी मायके से ससुराल गयी थी। दो दिन बाद ही उसके पति, सास व ससुर ने दहेज न मिलने के कारण मेरी बेटी की हत्या कर दी। मेरी बेटी साढ़े चार महीने की गर्भवती थी।"* जिरह में बताया कि *"मेरे पास 5-6 बीघा जमीन है। यह जमीन मेरी तनखा है। मेरे व मेरे परिवार की गुजर बसर का जरिया मेरी 5-6 बीघा जमीन है। मृतका पढ़ी लिखी नहीं थी। शादी के समय उसकी उम्र करीब 18 वर्ष थी। मेरे पास जो 5-6 बीघा जमीन है, उसमें हमारा गुजारा चलता है। साल के खर्च के बाद तीस चालीस हजार रूपये बच जाते हैं। जब मैंने लड़की की शादी करी, उस समय मेरे पास मोटर साईकिल थी। यह मोटर साईकिल मैंने स्वयं नहीं खरीदी थी बल्कि मुझे लड़के की शादी में मिली थी। शादी में दिये सामान की लिस्ट बनायी थी। मैंने वह लिस्ट दौरान विवेचना पुलिस को नहीं दी थी तथा न ही इस अदालत में दाखिल करी। शान्ति द्वारा दी सूचना मुझे अपने घर पर रात में मिली थी। सूचना मिलने के बाद दोपहर बाद मैं लड़की की ससुराल पहुँचा था तथा मेरे साथ कौन लोग थे, उनके नाम मैं नहीं बता सकता। हम मोटरसाईकिल से गये थे। पुलिस पहले ही आ चुकी थी। लड़के ने बुला ली थी। जब हम पहुँचे तो वहाँ गांव के लोग इकट्ठा थे। मैंने अपनी आँखों से लड़की की लाश देखी थी। पुलिस ने मेरा बयान नहीं लिया था। लड़के अरविन्द का बयान लिया था। शादी हुए लगभग 6 माह हुए थे। इन छः माह में मेरी लड़की ससुराल से दो तीन बार आयी थी। हम भी लड़की की ससुराल में दो बार गये। दोनो बार मैं अकेले लड़की की ससुराल गया था। मेरी लड़की अपनी ससुराल से अपने मायके मेरे साथ आयी। लड़की मायके से ससुराल अपने पति के साथ जाती थी। यह कहना सही है कि मैं मौके पर नहीं गया था। मैं खेती बाड़ी करता हूँ, जो दान दहेज की लिस्ट बनी थी वह मैंने दरोगा जी को नहीं दी थी। जब घटना की सूचना घर पर मिली थी, मेरी तबीयत ठीक थी, मैं अपने घर पर था। घटना से दो तीन दिन पहले मेरी लड़की से बात हुई थी। लड़की की ससुराल से मैं होकर आया था। इन 15 दिन में ससुराल वालों से कोई बातचीत नहीं हुई। मेरे घर से घटना से पहले मृतका को उसका पति बुलाकर ले गया था। पति अकेले आये थे। यह कहना सही है कि आज से पहले या इस अदालत में जो*

बयान दिया कितने रूपये मांगे किसी को नहीं बताया। अरविन्द मेरा लड़का पढ़ा लिखा है, मेरे बेटे अरविन्द ने जो थाने में रपट करायी थी उसके बारे में वही जाने। मेरे बेटे ने प्रथम सूचना रिपोर्ट में लिखाया कि गला दबाकर हत्या कर दी व बेल्टों से जमकर पिटाई की, यह बात सही लिखवायी। घटना के बाद कभी भी मैं तथा मेरे घर का कोई आदमी लड़की की ससुराल नहीं गया।"

इस प्रकार पी0 डब्लू0-3 की साक्ष्य से भी यह स्पष्ट होता है कि पीड़िता की शादी में यदि कोई दान दहेज दिया था और उसकी कोई लिस्ट बनी भी थी परन्तु ऐसी कोई लिस्ट मृतका के पिता ने न तो पुलिस को दी, न ही अदालत में दी, इस तथ्य को पी0 डब्लू0-3 ने अपनी जिरह में स्वीकार किया है। मृतका के घर आने जाने के बारे में बताया कि उसके विवाह को 6 महीने हुए थे, इस दौरान वह ससुराल से मायके मेरे साथ आती थी और मायके से ससुराल अपने पति के साथ जाती थी। घटना से दो दिन पहले ही वह ससुराल गयी थी। इन दो दिनों के मध्य की कोई घटना मृतका के साथ मृतका के ससुरालीजन ने कारित की, ऐसा कोई साक्ष्य यह साक्षी भी प्रस्तुत करने में असमर्थ रहा है।

25. **पी0 डब्लू0- 4 रामेश्वर** जो कि मृतका के चाचा है, भी वादी मुकदमा के साथ मौके पर जाना बताता है, के द्वारा मुख्य परीक्षा में बताया गया कि *"मृतका की शादी वर्ष 2017 में हुई थी। भतीजी के ससुराल वाले दिये गये दान दहेज से खुश नहीं थे उसे प्रताड़ित करते थे और रूपयों की मांग करते थे। मेरी भतीजी ने मुझे कई बार इस सम्बन्ध में बताया था। दिनांक 26.06.2018 को मृतका की ससुराल से हमारे दूर की रिश्तेदार शान्ति का फोन आया था कि मृतका की ससुरालवालों ने दहेज के लिए मृतका की हत्या कर दी है तब मैं व मेरा भतीजा अरविन्द व मेरी पत्नी पायल फरेंदी गये थे देखा कि मेरी भतीजी की लाश आंगन में पड़ी थी। उस समय वहाँ पर मृतका के ससुराल वाला कोई नहीं था। मेरी भतीजी मृतका के चेहरे पर ठोडी पर तथा ठोडी के नीचे चोट के निशान थे। मेरे सामने मजिस्ट्रेट साहब ने पंचायतनामा भरा था तथा मेरे भी पंचायतनामे पर हस्ताक्षर करवाये थे।"* जिरह में बताया कि *"मैं दिल्ली में रह रहा हूँ। मेरे भाई ने मेरी भतीजी मृतका की शादी कौन से सन् में की थी, यह मुझे याद नहीं है। जिस समय मेरी भतीजी मृतका की मृत्यु हुई थी तब भी मैं दिल्ली में था, मुझे मृतका की मृत्यु की सूचना मेरे भतीजे ने दी थी। मृतका की मृत्यु की सूचना पाकर मैं और अरविन्द मृतका की ससुराल गये थे। दिनांक 26.06.2018 को मैं सुमन की ससुराल समय करीब सुबह पांच बजे पहुँच गया था। जब मैं ससुराल पहुँच गया तो वहाँ पुलिस नहीं आयी थी। अरविन्द के फोन करने पर पुलिस आयी थी। पुलिस ने मुझसे कुछ कागजों पर हस्ताक्षर कराये या नहीं, यह मुझे याद नहीं। पंचनामा मेरे सामने भरा गया था। मृतका की शादी वाले दिन तथा मृत्यु वाले दिन मैं गांव में आया था। शादी के बाद मृतका मेरे घर दिल्ली में कभी नहीं गई।"*

26. तथ्य के उपरोक्त साक्षियों के अलावा औपचारिक गवाह के रूप में चिक एफ.आई.आर. लेखक पी0 डब्लू0-2 के रूप में परीक्षित हुए जिनके द्वारा चिक एफ.आई.आर. को साबित किया गया व इस मामले की एफ.आई.आर. दिनांक 26.06.2018 समय करीब 12.00 बजे दर्ज होना बताया। पी0 डब्लू0-5 डॉ0 निर्मल ओझा है जिन्होंने दिनांक 26.06.2018 को मृतका का पोस्टमार्टम अपने साथी चिकित्सक के साथ किया। पोस्टमार्टम के समय मृत्यु पूर्व चोटें चोट सं0-1 दाहिनी तरफ चेहरे पर जबड़े के निचले हिस्से पर थी, चोट सं0-2. ठोडी से नीचे बीच में थी, चोट सं0-3. ठोडी से 5 सेमी नीचे और 1.5 सेमी बायी तरफ तरफ थी, चोट सं0-4. दाहिने घुटने पर सामने की ओर थी, चोट सं0-5. दाहिनी ओर बाहर की तरफ चोट सं0-4 से 01.5 सेमी दूर थी। सभी चोटे नीलगू निशान

थे। कोई कटा फटा घाव नहीं था। इस साक्षी ने यह भी बताया कि *"आमाशय में लगभग 100 एम0 एल0 धुंधला कत्थई पदार्थ मौजूद था तथा हल्की गंद थी तथा आमाशय की न्यूकोसा कन्जेस्टेड थी। मृतका गर्भवती थी, उसके गर्भ में लड़के (मेल) का भ्रूण था, जिसकी अवस्था साढ़े चार महीने की थी। मृत्यु का सही कारण जानने हेतु विसरा कैमिकल परीक्षण हेतु प्रेषित किया गया।"* जिरह में बताया कि *"यह बात सही है जो मैंने मृत्यु का समय एक दिन पूर्व का बताया है, उसमें 8-10 घण्टे का अन्तर हो सकता है। यह बात सही है कि मृत्यु का कारण पोस्टमार्टम करते समय पूर्णतः स्पष्ट नहीं था इसलिए सम्भावित पोईजिन की वजह से विसरा रसायनिक परीक्षण हेतु सुरक्षित रख दिया था। द्रव्य पदार्थ कोई चीज आमाशय में जाती है तो उसके रिएक्शन में सैकरीन होते है। सामन्यता भी सैकरीन होते हैं। यह बात सही है कि मृतका के शरीर पर सभी चोटे साधारण प्रकृति की थी। वाहय चोटों से मृत्यु होना संभव नहीं है। यह बात सही है कि यदि ट्रैक्टर ट्राली अन्दर से कटी फटी यानि टूटी फूटी हो तो यह चोट लगभग आना संभव है। ट्रैक्टर ट्राली से यदि अस्पताल लाने से यदि सड़क में गढढे हो तो यह चोट लगभग नहीं आ सकती है।"*

इस प्रकार इस साक्षी की साक्ष्य से यह स्पष्ट नहीं हो सका है कि मृतका की मृत्यु का कारण क्या था।

27. **पी0 डब्लू0- 6 श्री राजेश कुमार** तहसीलदार है, के द्वारा मृतका का पंचनामा किया ग या था। मुख्य परीक्षा में बताया कि *"मेरी राय में मृतका की मृत्यु गले में फन्दे के कारण होना प्रतीत हो रही थी तथा पंचों की राय में भी मृत्यु गला दबाकर हत्या की थी। मृत्यु का सही कारण स्पष्ट करने हेतु मृतका के शव को पोस्टमार्टम हेतु भेजा। मृतका के बाये कान पर नीलगू निशान, गर्दन पर नीलगू निशान, कमर पर नीलगू निशान तथा नाक से लाल रंग का पानी निकल रहा था।"* जिरह में बताया कि *"पंचनामे पर मुल्जिमानों के नाम नहीं लिखे हैं। मैंने पंच नियुक्तों की राय ली थी। पंचों ने अपनी राय में बताया था कि मृतका की मृत्यु गला दबाकर की गयी थी। यह बात सही है कि मैंने अपनी राय में लिखा है कि मृतका की मृत्यु गले में फन्दे के कारण होना प्रतीत होती है।"*

इस प्रकार इस साक्षी की साक्ष्य से भी यह स्पष्ट नहीं है कि मृतका की मृत्यु गला दबाकर की गई थी अथवा गले में फन्दे के कारण हुई थी, अथवा क्या अन्य कारण था। मृत्यु का कारण स्पष्ट नहीं होने के आधार पर इस साक्षी द्वारा मृतका के शव को पोस्टमार्टम हेतु भेजा जाना बताया गया है परन्तु पोस्टमार्टम के बाद भी मृत्यु का कारण पी0 डब्लू0–05 स्पष्ट नहीं कर सके और विसरा को परीक्षण हेतु भेजा गया।

28. **पी0 डब्लू0- 7 रणधीर सिंह** है, जिनके द्वारा भी अपनी जिरह में बताया गया कि *"मृतका के पोस्टमार्टम में कारण स्पष्ट न होने के कारण विसरा प्रिजर्व किया गया था।"* विसरा रिपोर्ट पत्रावली पर कागज सं0–5/20 के रूप में मौजूद है जिसके अनुसार मृतका के विसरा में सुरक्षित क्रम सं0-1 से क्रम सं0-7 तक आंत, लीवर, किडनी, स्लपीन, आमाशय आदि का टुकड़ा व रक्त का नमूना परिरक्षी नमक का घोल परीक्षण हेतु भेजा था जिनमें से रक्त का नमूना तथा परिरक्षी नमक के घोल में विष नहीं पाया गया परन्तु अन्य टुकड़े जो सुरक्षित थे, में विष नहीं पाया गया। इस रिपोर्ट के अनुसार मृतका के अंगों में विश (एल्यूमीनियम फॉस्फाइड) पाया जाना वर्णित है। विसरा रिपोर्ट इसलिए आहूत की गयी थी कि मृतका का मृत्यु का कारण स्पष्ट हो सके। मृतका की मृत्यु का सही कारण यदि इस विसरा रिपोर्ट के अनुसार माना जाये तो शरीर में पाये जाने वाले एल्यूमीनियम

फॉस्फाइड विष है जबकि मृतका की मृत्यु का कारण पंचों की राय व पी0 डब्लू0-6 के अनुसार गला दबाकर अथवा गले में फंदा डालकर होना बताया गया। वादी मुकदमा को मृतका की मृत्यु की सूचना शान्ति द्वारा दिया जाना पी0 डब्लू0-1, पी0 डब्लू0-3 व पी0 डब्लू0-4 द्वारा बताया गया है और यह भी बताया गया है कि सूचनाकर्ता शान्ति जो कि रिश्ते की बुआ है, के द्वारा अभियुक्तगण द्वारा दहेज के लिए गला दबाकर हत्या करना बताया गया है परन्तु अभियोजन पक्ष, साक्ष्य से यह स्पष्ट नहीं कर सका है कि मृतका की मृत्यु का वास्तविक कारण क्या रहा परन्तु दोनों ही परिस्थितियों में यह स्पष्ट है कि मृतका की मृत्यु स्वाभाविक नहीं अस्वाभाविक थी।

धारा-304 बी भारतीय दण्ड संहिता को साबित करने के लिए यह अपेक्षित है कि ***"जब किसी महिला की विवाह के 7 वर्ष के भीतर सामान्य परिस्थितियों से अन्यथा मृत्यु होती है तब धारा-304 बी के अन्तर्गत तभी दण्डित किया जा सकता है जबकि मृत्यु से कुछ पूर्व उसके पति या पति के नातेदारों ने दहेज की किसी मांग के लिए उस स्त्री के साथ क्रूरता की हो, उसे तंग किया हो तभी दहेज मृत्यु समझी जाती है।"*** मृतका की मृत्यु विवाह के 6 महीने के अन्दर होना बताया गया है। इस 6 माह की अवधि के दौरान वादी मुकदमा द्वारा बताया गया कि मुझे नहीं मालूम कि मृतका कितनी बार मायके आयी थी, मुझसे फोन पर बात होती थी और यह भी बताया गया कि इस घटना के पहले राकेश व उसके परिवार वालों के बीच में कोई पंचायत नहीं हुई थी। शादी से 2 दिन पूर्व ही मृतका मायके से ससुराल गई थी। ससुराल से मृतका को मृतक अभियुक्त राकेश जो कि उसका पति था, बुआ के यहाँ शादी में लेकर गया था। पी0 डब्लू0-3 द्वारा भी यही बताया गया कि शादी को लगभग 6 माह हुए थे, इन 6 माह में लगभग 2-3 बार ससुराल आयी थी। लड़की ससुराल से मायके (पिता) पी0 डब्लू0-3 के साथ आयी थी और मायके से ससुराल पति अभियुक्त मृतक राकेश के साथ जाती थी। इससे यही परिलक्षित होता है कि पीड़िता व उसके पति के मध्य सम्बन्ध सामान्य थे और वह सामान्य सम्बन्धों के तहत ही ससुराल से मायके, मायके से ससुराल इन छः माह की अवधि में आती जाती रही है। दहेज के बारे में वादी मुकदमा ने बताया कि मेरी एफ.आई.आर. में भैंस, फ्रिज व 60 हजार रूपये की मांग नहीं लिखी थी। मैंने भैंस, फ्रिज व 60 हजार रूपये की बात पुलिस को नहीं बताई थी। इससे स्पष्ट है कि भैंस, फ्रिज व 60 हजार रूपये की मांग पहली बार वादी ने न्यायालय में ही बतायी है क्योंकि तहरीर में उसके बयान के अनुसार भी और तहरीर के अनुसार भी दहेज में भैंस, फ्रिज व 60 हजार रूपये की मांग की बात नहीं लिखी है। पी0 डब्लू0-3 ने अपनी साक्ष्य में बताया कि मृतका की ससुराल वाले दहेज में भैंस, फ्रिज व 60 हजार रूपये की मांग करते थे परन्तु दान दहेज में क्या दिया, उसकी कोई लिस्ट पुलिस को व न्यायालय में प्रस्तु न करना भी स्वीकार किया है बल्कि जिरह में तो यह भी कहा कि यह कहना सही है कि आज से पहले अर्थात न्यायालय में बयान में मृतका ने कितने रूपये मांगे, किसी को नहीं बताया। इस प्रकार पी0 डब्लू0-1 व पी0 डब्लू0-3 दोनों के ही साक्ष्य से यह स्पष्ट होता है कि मृतका से दहेज में भैंस, फ्रिज व 60 हजार रूपये मांगने की बात प्रथम बार इनके द्वारा अदालत में ही बतायी गयी है। घटना से पूर्व कोई पंचायत मृतका के ससुराल पक्ष व मायके पक्ष में नहीं हुई, न ही दहेज के बारे में कोई शिकायत की गई बल्कि मृतका के मायके व ससुराल के आने जाने के तरीके से यह दोनों ही परिवारों के सम्बन्ध सामान्य दर्शित होते हैं, ऐसी स्थिति में यह तथ्य साबित नहीं है कि मृतका से दहेज की माँग की गई जबकि धारा-304 बी भारतीय दण्ड संहिता के लिए विवाह के 7 वर्ष तक की अवधि के अन्दर मृत्यु व अस्वाभाविक मृत्यु के अतिरिक्त यह साबित होना अपेक्षित है कि

मृत्यु से ठीक पूर्व मृतका को दहेज की मांग को लेकर प्रताड़ित किया गया हो परन्तु प्रताड़ित किये जाने का तथ्य अभियोजन साक्षियों के साक्ष्य से ही साबित नहीं है।

चिकित्सक पी0 डब्लू0-5 के अनुसार मृत्यु का समय एक दिन पूर्व का होना बताया गया है। पोस्टमार्टम दिनांक 26.06.2018 को 12.40 पर हुआ था जिसके अनुसार एक दिन पूर्व अर्थात मृत्यु का समय 25.06.2018 दोपहर होता है जिसके सम्बन्ध में पी0 डब्लू0-5 द्वारा यह भी कहा गया कि इस समय में 8-10 घण्टे का अन्तर हो सकता है। 8-10 घण्टे के अन्तराल के अनुसार मृत्यु का समय दिनांक 25.06.2018 को समय रात लगभग 8 से 11 बजे के मध्य का हो सकता है। मृतका के गले पर चोट के निशान के आधार पर पंचांग द्वारा यह राय दी गई कि गला दबाकर हत्या कारित की है परन्तु विसरा रिपोर्ट के अनुसार मृतका के शरीर में एल्यूमीनियम फॉस्फाइड विष पाया गया जो कि कीटनाशक दवा है। मनुष्य में इसका प्रयोग, जहर का काम करता है जिससे मृत्यु होना संभव है। इस प्रकार मृतका की मृत्यु अस्वाभाविक रूप से हुई है, पी0 डब्लू0-5 के बयान के अनुसार वाह्य चोटों से मृत्यु होना संभव नहीं थी। सभी चोटे साधारण प्रकृति की थी। मृतका के पति (अभियुक्त राकेश) की मृत्यु दौरान विचारण हो चुकी है वही यह स्पष्ट कर सकता था कि मृत्यु की क्या परिस्थिति रहीं।

पी0 डब्लू0-7 के अनुसार मृतका के ससुराल के घर के दक्षिण में प्रेमपाल का मकान है जिसके कि डी0 डब्लू0-2 के रूप में अभियुक्तगण ने परीक्षित कराया है, उसके अनुसार राकेश की मृतका से शादी के बाद राकेश ने अपने पिता रामकिशोर व माता श्रीमती माया देवी को अपने घर से निकाल दिया था और वह बड़े लड़के नरेश के पास पंडित नंगला की मिलक में रहते थे। घटना से लगभग 10 दिन पहले मृतका को बुखार आ रहा था और उसका इलाज डॉक्टर से चल रहा था। दवाई में धोखे से फसलों पर छिड़कने वाला कीटनाशक मृतका ने धोखे से पी लिया जिसके बाद डॉक्टर ने मृतका को देखते ही मृत घोषित कर दिया। दवाई का कोई पर्चा पत्रावली पर नहीं है, ऐसी स्थिति में इस तथ्य पर विश्वास करने हेतु पर्याप्त आधार नहीं है परन्तु समस्त परिस्थितियों को मृतका का पति ही स्पष्ट कर सकता था जिसकी कि मृत्यु हो चुकी है। विवाह के उपरान्त से दोनों परिवार के मध्य दहेज के लिए कोई कहासुनी या पंचायत हुई हो, ऐसा साक्ष्य नहीं है। शान्ति देवी जिसके कि द्वारा वादी मुकदमा द्वारा यह बताया जाना कि मृतका के ससुरालीजन ने गला दबाकर मार दिया है, को न्यायालय में परीक्षित नहीं कराया गया है, जीवित अभियुक्तगण सास व ससुर हैं, पति की मृत्यु होने के कारण उसके विरूद्ध वाद की कार्यवाही उपशमित हो चुकी है बैल्ट से मारपीट करना बताया है परन्तु चोटे शरीर पर नहीं गले, ठोडी पर है जहां बैल्ट से मारा जाना संभव नहीं है न ही कोई तथ्य का साक्षी चक्षुदर्शी साक्षी रहा है जो इस आधार पर बता सके कि उसने मारते हुए देखा हो, ऐसी स्थिति में धारा-304 बी, 498 ए भारतीय दण्ड संहिता व 3/4 दहेज प्रतिषेध अधिनियम में अभियुक्तगण की दोषसिद्धी हेतु पर्याप्त आधार नहीं है।

29. प्रस्तुत सत्र परीक्षण में अभियोजन पक्ष द्वारा अभियुक्तगण राम किशोर तथा माया देवी के विरुद्ध भारतीय दण्ड संहिता की धारा 302 के अंतर्गत हत्या का अत्यंत गंभीर आरोप आरोपित किया गया है। अभियोजन का मूल कथानक इस आधार पर है कि उक्त दोनों अभियुक्तगण ने अपने पुत्र राकेश (अब मृतक) के साथ समान आशय से अग्रसर होकर मृतका की दहेज की मांग पूरी न होने के कारण गला दबाकर एवं बेल्टों से पीटकर नृशंस हत्या कर दी। भारतीय आपराधिक विधि शास्त्र का यह आधारभूत एवं अक्षुण्ण सिद्धांत है कि अभियुक्त को निर्दोष माना जाता है जब तक कि

अभियोजन पक्ष उसके विरुद्ध लगाए गए आरोपों को संदेह से परे (Beyond Reasonable Doubt) साबित न कर दे। हत्या जैसे जघन्य अपराध में, जहाँ दंड का प्रावधान आजीवन कारावास या मृत्युदंड है, न्यायालय का यह दायित्व है कि वह साक्ष्यों का परीक्षण अत्यंत सूक्ष्मता, गम्भीरता और सतर्कता के साथ करे। प्रस्तुत प्रकरण में प्रत्यक्ष साक्ष्य के अभाव में अभियोजन का पूरा मामला परिस्थितिजन्य साक्ष्य (Circumstantial Evidence) पर आधारित है। इस निर्णय के आगामी अनुच्छेदों में न्यायालय पत्रावली पर उपलब्ध मौखिक एवं दस्तावेजी साक्ष्यों, विशेषकर वादी मुकदमा, अन्य तथ्य के साक्षियों, चिकित्सक, पंचायतनामा के साक्षियों और विवेचनाधिकारी के बयानों का तुलनात्मक विश्लेषण करते हुए यह निर्धारित करेगा कि क्या धारा 302 का आरोप अभियुक्तगण के विरुद्ध विधिक रूप से ठहरने योग्य है अथवा नहीं।

सर्वप्रथम अभियोजन पक्ष के मुख्य गवाह एवं मृतका के भाई पी० डब्लू०-1 अरविन्द के साक्ष्य का विश्लेषण आवश्यक है। धारा 302 के आरोप को सिद्ध करने के लिए घटना के तथ्य और तरीका (Modus Operandi) स्पष्ट होना चाहिए। पी० डब्लू०-1 ने अपनी मुख्य परीक्षा में शपथ पर कथन किया है कि "मृतका की लाश घर के बरामदे में पड़ी मिली। मृतका के पति राकेश, ससुर रामकिशोर, सास माया देवी ने मिलकर दहेज के लिए मृतका की तीनों लोगों ने मिलकर गला दबाकर हत्या कर दी और उसे बैल्टों से जमकर पिटाई की थी।" यह कथन प्रथम दृष्टया एक प्रत्यक्षदर्शी विवरण जैसा प्रतीत होता है, किन्तु यह निर्विवाद सत्य है कि घटना के समय पी० डब्लू०-1 दिल्ली में था और उसे सूचना शान्ति नामक महिला ने दी थी। अतः "तीनों ने मिलकर गला दबाया और बेल्टों से पीटा" यह कथन साक्षी के व्यक्तिगत ज्ञान पर आधारित न होकर पूर्णतः अनुश्रुत (Hearsay) और कल्पित है। जब इस साक्षी की प्रतिपरीक्षा (Cross-Examination) की गई, तो इसकी विश्वसनीयता पर गंभीर प्रश्नचिन्ह लग गए। प्रतिपरीक्षा में साक्षी ने स्वीकार किया, "मैंने थाने जाकर खुद ही एफ.आई.आर. करायी थी... एफ.आई.आर. में दहेज की मांग लिखी है। मेरी एफ.आई.आर. में भैंस, फ्रिज व 60,000/- रूपये की मांग नहीं लिखी है। मैंने भैंस, फ्रिज व 60,000/- रूपये की बात पुलिस को नहीं बतायी थी।" यह स्वीकारोक्ति अत्यंत महत्वपूर्ण है। यह दर्शाता है कि न्यायालय के समक्ष दिया गया बयान एक सोचा-समझा सुधार (Improvement) है। यदि दहेज की विशिष्ट मांग ही झूठी या बाद में गढ़ी हुई प्रतीत होती है, तो हत्या के लिए बताया गया 'हेतुक' (Motive) स्वतः ही संदिग्ध हो जाता है। हत्या के मामले में, यदि अभियोजन पक्ष हत्या के तरीके के बारे में झूठ बोलता है, तो न्यायालय को शेष साक्ष्य को बहुत सावधानी से देखना होता है। वादी ने दावा किया कि बेल्टों से पिटाई की गई, लेकिन पुलिस को घटनास्थल से कोई बेल्ट बरामद नहीं हुई और न ही शरीर पर बेल्ट के निशान मिले। यह विसंगति वादी के पूरे बयान को धारा 302 के आरोप के संदर्भ में अविश्वसनीय बना देती है।

इसके अतिरिक्त, पी० डब्लू०-3 बालेश्वर (मृतका के पिता) और पी० डब्लू०-4 रामेश्वर (मृतका के चाचा) के बयानों का सूक्ष्म अवलोकन करने पर यह स्पष्ट होता है कि ये साक्षीगण भी घटना के चक्षुदर्शी नहीं हैं और इनका ज्ञान केवल वादी या अन्य स्रोतों से प्राप्त सूचना तक सीमित है। पी० डब्लू०-3 ने मुख्य परीक्षा में कहा कि "ससुराल वाले पति राकेश, ससुर रामकिशोर व सास माया देवी दिये गये दान दहेज से खुश नहीं थे... दो दिन बाद ही उसके पति, सास व ससुर ने दहेज न मिलने के कारण मेरी बेटी की हत्या कर दी।" लेकिन प्रतिपरीक्षा में जब उनसे दहेज की सूची के बारे में पूछा गया तो उन्होंने कहा, "शादी में दिये सामान की लिस्ट बनायी थी। मैंने वह लिस्ट दौरान

विवेचना पुलिस को नहीं दी थी तथा न ही इस अदालत में दाखिल करी।" एक पिता द्वारा अपनी पुत्री की हत्या के मामले में दहेज की सूची जैसा महत्वपूर्ण दस्तावेज प्रस्तुत न करना, दहेज हत्या की थ्योरी को कमजोर करता है। इसी प्रकार पी० डब्लू०-4 ने भी स्वीकार किया कि "पुलिस ने मुझसे कोई राय ली या नहीं, मुझे याद नहीं क्योंकि मैं बहुत रो रहा था... पंचनामा मेरे सामने भरा गया था।" इन साक्षियों की उपस्थिति केवल शव मिलने के बाद की है। धारा 302 के अंतर्गत दोषसिद्धि के लिए यह साबित करना आवश्यक है कि अभियुक्तगण ने ही चोट कारित की। चूंकि ये साक्षी घटना के समय मौजूद नहीं थे, इनका साक्ष्य अभियुक्तगण की 'उपस्थिति' या 'कृत्य' को साबित नहीं करता, केवल अभियोजन की कहानी को दोहराता है।

चिकित्सीय साक्ष्य (Medical Evidence) किसी भी हत्या के मामले में अभियोजन कथानक की सत्यता परखने की कसौटी होता है। इस प्रकरण में पी० डब्लू०-5 डॉ० निर्मल ओझा का बयान अभियोजन के लिए सबसे बड़ी बाधा है। वादी का विशिष्ट आरोप था कि "गला दबाकर हत्या की और बेल्टों से जमकर पिटाई की"। अब हम इसे पोस्टमार्टम रिपोर्ट (प्रदर्श क-5) और डॉक्टर के बयान की कसौटी पर कसते हैं। डॉक्टर ने मृतका के शरीर पर 5 चोटें पाईं जो सभी "Abraded contusion" (खरोंच युक्त गुमचोट) थीं। मुख्य परीक्षा में डॉक्टर ने इन्हें नोट किया, परन्तु प्रतिपरीक्षा में एक अत्यंत चौंकाने वाला और निर्णायक खुलासा किया। डॉक्टर ने स्पष्ट स्वीकार किया, "यह बात सही है कि मृतका के शरीर पर सभी चोटें साधारण प्रकृति की थी। इन वाहय चोटों से मृत्यु होना संभव नहीं है।" यह एक पंक्ति वादी की "बेल्टों से जमकर पिटाई" वाली कहानी को पूर्णतः ध्वस्त कर देती है। यदि बेल्टों से जमकर पिटाई की गई होती तो शरीर पर 'Weal marks' या गंभीर चोटें होतीं, न कि साधारण खरोंचें। इसके आगे, डॉक्टर ने प्रतिपरीक्षा में बचाव पक्ष के उस सुझाव को भी संभव माना कि "यदि मृतका ट्रैक्टर ट्राली से अस्पताल लाने से यदि सड़क में गड्ढे हो तो यह चोट लगभग नहीं आ सकती है... यह बात सही है कि यदि ट्रैक्टर ट्राली अन्दर से कटी फटी यानि टूटी फूटी हो तो यह चोट लगभग आना संभव है।" इसका अर्थ है कि शरीर पर पाई गई चोटें हत्या की नियत से किए गए हमले का परिणाम न होकर, अचेत अवस्था में अस्पताल ले जाते समय हुई रगड़ का परिणाम हो सकती हैं। यह संभावना धारा 302 के आरोप में 'संदेह का लाभ' (Benefit of Doubt) अभियुक्त को देने के लिए पर्याप्त आधार है।

मृत्यु के कारण और विष (Poison) के सिद्धांत का विश्लेषण करना इस मामले में न्यायनिर्णयन के लिए अपरिहार्य है। डॉक्टर ने पोस्टमार्टम के समय मृत्यु का कारण सुरक्षित रखा था क्योंकि वह स्पष्ट नहीं था। विसरा सुरक्षित रखा गया। आमाशय में "100 एम.एल. धुंधला कत्थई पदार्थ" पाया गया और सभी आंतरिक अंग (Brain, Lungs, Liver, Kidney etc.) "Congested" थे। यह लक्षण विषपान की ओर संकेत करते हैं। अब प्रश्न यह उठता है कि यदि मृत्यु विष से हुई, तो क्या यह हत्या (Homicide) थी या आत्महत्या (Suicide) या दुर्घटना (Accident)? धारा 302 के तहत दोषसिद्धि के लिए अभियोजन को यह साबित करना होगा कि अभियुक्तगण ने "जबरदस्ती" मृतका को विष दिया। यदि किसी वयस्क व्यक्ति को जबरन विष दिया जाता है, तो वह निश्चित रूप से प्रतिरोध करेगा। इस प्रतिरोध के फलस्वरूप मुंह के आसपास, होठों पर, मसूड़ों पर या गालों के अंदरूनी हिस्से में चोटें आनी चाहिए। हाथों को पकड़ने के निशान होने चाहिए। पी० डब्लू०-5 डॉ० ओझा की रिपोर्ट में और उनके बयान में ऐसी किसी भी चोट का उल्लेख नहीं है जो "संघर्ष" (Signs of Struggle) को दर्शाती हो। डॉक्टर ने कहीं भी यह नहीं कहा कि विष जबरदस्ती दिया गया था।

चेहरे पर जो मामूली खरोंचें थीं, वे जबरन विष पिलाने के दौरान आई चोटों के अनुरूप नहीं हैं। ऐसी स्थिति में, यह संभावना प्रबल हो जाती है कि विष का सेवन या तो स्वेच्छा से किया गया या धोखे से (दुर्घटनावश) हो गया, जैसा कि बचाव पक्ष ने तर्क दिया है। जब जबरन विष देने का कोई चिकित्सीय प्रमाण नहीं है, तो धारा 302 का आरोप अभियुक्तगण रामकिशोर और माया देवी पर थोपा नहीं जा सकता।

अब हम अभियुक्तगण की आयु और घटनास्थल पर उनकी उपस्थिति के प्रश्न पर विचार करते हैं। अभियुक्त रामकिशोर की आयु लगभग 54 वर्ष और माया देवी की आयु 52 वर्ष है। वे वृद्ध नहीं तो प्रौढ़ अवस्था में अवश्य हैं। अभियोजन का दायित्व है कि वह घटना के समय इन अभियुक्तगण की घटनास्थल पर उपस्थिति को साबित करे। वादी (पी० डब्लू०-1) ने कहा कि वे वहां से भाग गए थे। लेकिन बचाव पक्ष ने दो अत्यंत महत्वपूर्ण और स्वतंत्र साक्षी प्रस्तुत किए हैं - डी० डब्लू०-1 राजकुमार और डी० डब्लू०-2 प्रेमपाल। ये दोनों पडोसी हैं और घटना से इनका कोई प्रत्यक्ष हित नहीं है। इन दोनों ने एक स्वर में और दृढ़तापूर्वक यह कथन किया है कि "राकेश की मृतका से शादी के बाद राकेश ने अपने पिता रामकिशोर व माता श्रीमती माया देवी को अपने घर से निकाल दिया था। ये अपने बड़े लड़के नरेश के पास पंडितनगला की मिलक (गांगन) पर रहती थी... घटना के समय मृतका के सास ससुर ग्राम फरेंदी में नहीं थे।" अभियोजन पक्ष ने प्रतिपरीक्षा में इन गवाहों की विश्वसनीयता को खंडित करने का भरपूर प्रयास किया, परन्तु वे अपने बयानों पर अडिग रहे। डी० डब्लू०-1 ने स्पष्ट कहा, "यह कहना गलत है कि रामकिशोर अपनी पत्नी के साथ नरेश के घर न रहते हों।" जब स्वतंत्र साक्ष्य यह स्थापित कर रहा है कि सास-ससुर का निवास और भरण-पोषण अलग था, तो यह बात तार्किक रूप से गले नहीं उतरती कि वे अचानक आकर अपनी गर्भवती पुत्रवधू को विष देंगे। अलग रहने वाले सास-ससुर का दहेज मांगने या हत्या करने का कोई तत्काल 'हेतुक' (Motive) प्रतीत नहीं होता। भारतीय साक्ष्य अधिनियम की धारा 11 के अंतर्गत 'अन्यत्र उपस्थिति' (Alibi) का सिद्धांत, यद्यपि अभियुक्त को साबित करना होता है, परन्तु इस मामले में बचाव पक्ष ने 'संभावना की प्रबलता' (Preponderance of Probability) के आधार पर यह साबित कर दिया है कि वे वहां नहीं रहते थे।

इसके अतिरिक्त, पी० डब्लू०-6 तहसीलदार राजेश कुमार और पी० डब्लू०-7 क्षेत्राधिकारी रणधीर सिंह (विवेचक) के बयानों में भी विरोधाभास है। तहसीलदार ने पंचायतनामा (प्रदर्श क-2) में लिखा कि "मेरी राय में मृतका की मृत्यु गले में फन्दे के कारण होना प्रतीत हो रही थी", जबकि पंचों ने राय दी कि "गला दबाकर हत्या की थी"। एक मजिस्ट्रेट स्तर के अधिकारी को 'फांसी का फंदा' और 'गला घोंटना' में अंतर समझ आना चाहिए। पोस्टमार्टम रिपोर्ट में गर्दन की हड्डी (Hyoid bone) सुरक्षित मिली और कोई गहरा Ligature mark नहीं मिला। यह विरोधाभास दर्शाता है कि प्रारंभिक जांच और राय केवल अटकलों पर आधारित थी। विवेचक (पी० डब्लू०-7) ने स्वीकार किया कि "मेरे द्वारा मृतका का कमरा नहीं दर्शाया गया है... मृतका का शव बरामदे में था।" विवेचना में यह कमी कि वास्तव में सास-ससुर का सामान उस घर में था या नहीं, अभियोजन के लिए घातक है। यदि विवेचक ने निष्पक्ष जांच की होती तो वह यह पाता कि सास-ससुर वहां रहते भी हैं या नहीं। विवेचना की यह त्रुटि अभियुक्तगण के पक्ष में जाती है।

धारा 302 के अपराध के गठन के लिए 'दुराशय' (Mens Rea) का होना अनिवार्य है। अभियोजन का तर्क है कि दहेज की मांग न पूरी होने पर हत्या की गई। लेकिन जब यह तथ्य सामने

आता है कि सास-ससुर को घर से निकाल दिया गया था और वे अलग रह रहे थे, तो उनका मृतका के जीवन या मृत्यु में कोई आर्थिक हित नहीं रह जाता। एक गर्भवती महिला, जिसके गर्भ में साढ़े चार माह का शिशु हो, की हत्या करने के लिए एक अत्यंत प्रबल और तात्कालिक उकसावे या कारण की आवश्यकता होती है। पत्रावली पर ऐसा कोई साक्ष्य नहीं है जो यह दर्शाए कि घटना वाली रात सास-ससुर वहां आए थे और उनका मृतका से कोई झगड़ा हुआ था। केवल वादी का यह कथन कि "शान्ति ने फोन पर बताया" पर्याप्त नहीं है, विशेषकर तब जब 'शान्ति' को अभियोजन ने गवाही के लिए पेश ही नहीं किया। यह एक महत्वपूर्ण विधिक लोप है। धारा 114(g) साक्ष्य अधिनियम के अनुसार, यदि अभियोजन किसी महत्वपूर्ण गवाह को, जो घटना की सच्चाई बता सकता था, जानबूझकर रोकता है, तो न्यायालय यह उपधारणा कर सकता है कि यदि वह गवाह आता तो सच्चाई अभियोजन के खिलाफ होती। शान्ति का न आना इस बात का संकेत है कि शायद वह अभियोजन की मनगढ़ंत कहानी का समर्थन करने को तैयार नहीं थी।

समस्त साक्ष्यों के गहन अनुशीलन, विश्लेषण और तार्किक विवेचन के उपरान्त न्यायालय इस निष्कर्ष पर पहुंचता है कि अभियोजन पक्ष अभियुक्तगण राम किशोर और माया देवी के विरुद्ध धारा 302 भारतीय दण्ड संहिता के आरोपों को साबित करने में पूरी तरह विफल रहा है। अभियोजन की कहानी में अनेक छिद्र हैं - प्रत्यक्षदर्शी का न होना, वादी के बयानों में विरोधाभास और सुधार, चिकित्सीय साक्ष्य का मारपीट की कहानी का खंडन करना, शरीर पर जबरन विष देने के निशानों का अभाव, और सबसे महत्वपूर्ण, बचाव पक्ष के स्वतंत्र साक्षियों द्वारा अभियुक्तगण के अलग रहने (Separate living) की पुष्टि करना। मृतका की मृत्यु दुखद है और संभवतः विषपान से हुई है, परन्तु केवल संदेह के आधार पर, बिना किसी ठोस सबूत के कि यह विष अभियुक्तगण द्वारा दिया गया, किसी को हत्यारा घोषित नहीं किया जा सकता। विधि का सुस्थापित सिद्धांत है कि "संदेह चाहे कितना भी गहरा क्यों न हो, वह साक्ष्य का स्थान नहीं ले सकता" (Suspicion, however grave, cannot take the place of proof)। परिस्थितिजन्य साक्ष्य की कड़ियां पूरी तरह टूटी हुई हैं और वे निश्चित रूप से अभियुक्तगण की दोषसिद्धि की ओर इशारा नहीं करतीं। अतः, अभियुक्तगण राम किशोर और माया देवी को संदेह का लाभ प्रदान करते हुए धारा 302 भा०दं०सं० के आरोप से दोषमुक्त किया जाना न्यायोचित, विधिक और तर्कसंगत है।

30. प्रस्तुत सत्र परीक्षण में अभियुक्तगण रामकिशोर एवं माया देवी के विरुद्ध भारतीय दण्ड संहिता की धारा 302 के साथ-साथ धारा 328 का भी विशिष्ट आरोप विरचित किया गया है, जिसका मूल आधार अभियोजन का यह कथन है कि अभियुक्तगण ने मृतका को विषैला पदार्थ या कोई अस्वास्थ्यकर द्रव्य (Unwholesome drug) इस आशय से सेवन कराया ताकि उसकी मृत्यु कारित की जा सके या उसे क्षति पहुंचाई जा सके। भारतीय दण्ड संहिता की धारा 328 के अंतर्गत अपराध के गठन के लिए अभियोजन पक्ष को केवल यह साबित करना पर्याप्त नहीं है कि मृतका की मृत्यु विषपान से हुई है, अपितु यह "संदेह से परे" (Beyond Reasonable Doubt) साबित करना अनिवार्य है कि वह विषैला पदार्थ "अभियुक्तगण द्वारा" ही और "जानबूझकर" (With Intent) सेवन कराया गया था। इस आरोप की गंभीरता और तकनीकी जटिलता को देखते हुए, न्यायालय पत्रावली पर उपलब्ध समस्त मौखिक, चिकित्सीय और परिस्थितिजन्य साक्ष्यों का अत्यंत सूक्ष्मता से, तथा विधि के सुस्थापित सिद्धांतों के आलोक में विश्लेषण कर रहा है।

सर्वप्रथम, अभियोजन पक्ष के आधारभूत साक्ष्य, अर्थात् वादी मुकदमा पी० डब्लू०-1

अरविन्द के बयान और प्रथम सूचना रिपोर्ट (प्रदर्श क-1) का इस धारा के परिप्रेक्ष्य में परीक्षण करना आवश्यक है। धारा 328 के आरोप की नींव ही इस बात पर टिकी होती है कि विष 'किसने' दिया और 'कैसे' दिया। पी० डब्लू०-1 ने अपनी प्रथम सूचना रिपोर्ट में स्पष्ट शब्दों में लिखवाया था कि "मृतका की तीनों लोगों ने मिलकर गला दबाकर हत्या कर दी और उसे बैल्टों से जमकर पिटाई की थी"। अत्यंत महत्वपूर्ण तथ्य यह है कि प्रथम सूचना रिपोर्ट में, जो कि घटना का सर्वप्रथम लिखित विवरण होता है, कहीं भी "विष देने" (Administration of Poison) का उल्लेख नहीं था। वादी ने अपने न्यायालयी बयान में भी मुख्य परीक्षा में "गला दबाकर हत्या" और "बेल्टों से पिटाई" की कहानी को ही दोहराया। धारा 328 का आरोप संभवतः चिकित्सीय साक्ष्य में मृत्यु का कारण स्पष्ट न होने और आंतरिक अंगों में 'कन्जेशन' (Congestion) पाए जाने के उपरान्त अभियोजन द्वारा वैकल्पिक रूप से विकसित किया गया है। विधि का यह सिद्धांत है कि यदि अभियोजन पक्ष घटना के तरीके (Mode of Occurrence) को लेकर ही निश्चित नहीं है—कि मृत्यु गला दबाने से हुई या विष देने से—तो यह अनिश्चितता अभियोजन के मामले को जड़ से कमजोर कर देती है। पी० डब्लू०-1 घटना का चक्षुदर्शी साक्षी नहीं है, अतः उसका यह कथन कि अभियुक्तगण ने विष दिया, साक्ष्य अधिनियम की धारा 60 के अंतर्गत ग्राह्य प्रत्यक्ष साक्ष्य नहीं माना जा सकता, अपितु यह मात्र एक कयास या संदेह है।

धारा 328 के आरोप के निर्धारण में सबसे निर्णायक भूमिका 'चिकित्सीय साक्ष्य' (Medical Evidence) की है। पी० डब्लू०-5 डॉ० निर्मल ओझा द्वारा तैयार की गई पोस्टमार्टम रिपोर्ट (प्रदर्श क-5) का इस संदर्भ में गहन विश्लेषण अपरिहार्य है। पोस्टमार्टम रिपोर्ट के अनुसार मृतका के आमाशय (Stomach) में "100 एम० एल० धुंधला कत्थई पदार्थ" (100 ml hazy brownish fluid) मौजूद था और उसमें से हल्की गंध आ रही थी। इसके अतिरिक्त, यकृत, प्लीहा, गुर्दे आदि अंग "कन्जेस्टेड" पाए गए। यह निष्कर्ष प्रथम दृष्टया विषपान की संभावना को इंगित करते हैं। किन्तु, धारा 328 के अपराध के लिए "विष का सेवन कराना" (Administering) सिद्ध होना चाहिए। विष सेवन कराने के दो ही तरीके हो सकते हैं: या तो धोखे से (Deceitfully) खाने-पीने में मिलाकर दिया गया हो, या फिर बलपूर्वक (Forcibly) दिया गया हो। यदि अभियोजन का यह तर्क है कि अभियुक्तगण ने बलपूर्वक विष दिया, जैसा कि उनकी "क्रूरता और हत्या" की समग्र कहानी से ध्वनित होता है, तो मृतका के शरीर पर प्रतिरोध के निशान (Signs of Struggle or Resistance) अवश्य होने चाहिए थे। जब किसी वयस्क व्यक्ति को उसकी इच्छा के विरुद्ध जबरन कोई विषैला द्रव्य पिलाने का प्रयास किया जाता है, तो स्वाभाविक मानवीय प्रतिक्रिया के फलस्वरूप वह मुंह बंद करने, सिर हिलाने या हाथ-पैर चलाने का प्रयास करता है। इस प्रक्रिया में होठों पर (Lips), मसूड़ों पर (Gums), गालों के भीतरी हिस्से में या गले के आसपास खरोंच, कटन या रगड़ के निशान आना लगभग निश्चित होता है। पी० डब्लू०-5 डॉ० ओझा ने अपने बयान में और पोस्टमार्टम रिपोर्ट में मृतका के मुंह, होठों या मसूड़ों पर किसी भी प्रकार की चोट का उल्लेख नहीं किया है। शरीर पर जो पांच चोटें (Abraded contusions) पाई गईं, वे चेहरे और ठोड़ी पर थीं, जिन्हें डॉक्टर ने साधारण प्रकृति का बताया और स्वीकार किया कि वे रगड़ लगने से आ सकती हैं। डॉक्टर ने प्रतिपरीक्षा में यह स्वीकार नहीं किया कि ये चोटें जबरन मुंह खोलने के प्रयास में आई थीं। मुंह के कोनों (Angle of mouth) पर चोट का अभाव "बलपूर्वक विषपान" (Forcible Administration) के सिद्धांत को पूर्णतः खारिज करता है।

अब यदि दूसरे विकल्प पर विचार करें कि विष "धोखे से" (Deceitfully) दिया गया, तो इसके लिए अभियोजन को यह साबित करना होगा कि अभियुक्तगण को मृतका के भोजन या पेय तक पहुंच (Access) प्राप्त थी और उन्होंने ही उसे वह पदार्थ दिया। यहाँ पर बचाव पक्ष द्वारा प्रस्तुत साक्ष्य और "पृथक निवास" (Separate Living) का तथ्य अत्यंत प्रासंगिक हो जाता है। बचाव पक्ष के साक्षी डी० डब्लू०-1 राजकुमार और डी० डब्लू०-2 प्रेमपाल, जो कि स्वतंत्र पड़ोसी हैं, ने शपथपूर्वक कथन किया है कि अभियुक्तगण रामकिशोर और माया देवी अपने बेटे राकेश (मृतक) और पुत्रवधू (मृतका) से अलग, अपने बड़े बेटे नरेश के पास 'पंडित नगला' में रहते थे। उन्होंने स्पष्ट कहा कि "राकेश ने अपने पिता रामकिशोर व माता श्रीमती माया देवी को अपने घर से निकाल दिया था"। अभियोजन पक्ष प्रतिपरीक्षा में इन गवाहों की सत्यनिष्ठा को हिलाने में असफल रहा है। यदि सास-ससुर उस घर में रहते ही नहीं थे और उनका खाना-पीना अलग था, तो यह कल्पना करना तार्किक रूप से कठिन है कि उन्होंने मृतका के भोजन या पानी में विष कैसे मिलाया होगा। धारा 328 के लिए अभियुक्त और अपराध के बीच का सीधा संबंध (Nexus) स्थापित होना चाहिए। अभियोजन ऐसा कोई भी साक्षी प्रस्तुत नहीं कर सका जिसने अभियुक्तगण को मृतका को कुछ खिलाते-पिलाते देखा हो, या घटना से ठीक पहले उन्हें रसोई घर या मृतका के कमरे के आसपास देखा हो। "लास्ट सीन" (Last Seen) साक्ष्य का पूर्ण अभाव है। जब अभियुक्तगण की घटनास्थल पर उपस्थिति ही संदेह के घेरे में है, तो उनके द्वारा विष देने का आरोप निराधार साबित होता है।

विवेचनाधिकारी (Investigating Officer) पी० डब्लू०-7 क्षेत्राधिकारी रणधीर सिंह की भूमिका और विवेचना के स्तर का विश्लेषण भी इस आरोप के संदर्भ में महत्वपूर्ण है। धारा 328 के मामलों में विवेचनाधिकारी का यह कर्तव्य होता है कि वह घटनास्थल से उस पात्र (Container), गिलास, बोतल या बर्तन को बरामद करने का प्रयास करे जिसमें विषैला पदार्थ दिया गया था, या यदि कोई उल्टी (Vomit) घटनास्थल पर पड़ी हो तो उसे फोरेंसिक जांच हेतु उठाए। प्रस्तुत प्रकरण में विवेचक ने घटनास्थल का निरीक्षण किया (प्रदर्श क-11), परन्तु वहां से किसी भी प्रकार की संदिग्ध बोतल, गिलास, या विषैले पदार्थ की पुड़िया की बरामदगी नहीं दर्शायी गई है। न ही घटनास्थल (बरामदे) से कोई वमन (Vomit) या विषैले पदार्थ के अवशेष जब्त किए गए। बरामदगी का यह अभाव (Absence of Recovery) अभियोजन की कहानी में एक बड़ी कड़ी को गायब कर देता है। यदि अभियुक्तगण ने विष देकर हत्या की होती, तो विष का पात्र या उसका कोई अंश वहां मिलने की संभावना प्रबल थी। इसके अतिरिक्त, विवेचक ने यह जांच करने का कोई प्रयास नहीं किया कि क्या सास-ससुर वास्तव में वहां रहते थे या नहीं, जबकि यह तथ्य मामले की जड़ था। विवेचना की यह उदासीनता और वैज्ञानिक साक्ष्य संकलन में कमी का लाभ विधि के अनुसार अभियुक्त को ही मिलना चाहिए।

इस प्रकरण में बचाव पक्ष द्वारा लिया गया बचाव (Defence Plea) और प्रस्तुत साक्ष्य धारा 328 के आरोप को खंडित करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। बचाव पक्ष के गवाहों (डी० डब्लू०-1 व 2) ने यह तर्क प्रस्तुत किया है कि "श्रीमती मृतका ने दवाई के धोखे में फसलों पर छिड़कने वाला कीटनाशक धोखे से पी लिया था... उसे बुखार आ रहा था"। यद्यपि अभियोजन इस तर्क को अस्वीकार कर सकता है, परन्तु विधि का सिद्धांत है कि बचाव पक्ष को अपना मामला "संदेह से परे" साबित करने की आवश्यकता नहीं होती, बल्कि उसे केवल "संभावनाओं की प्रबलता" (Preponderance of Probability) के आधार पर एक वैकल्पिक और विश्वसनीय स्पष्टीकरण देना

होता है। ग्रामीण परिवेश में, जहां घरों में कीटनाशक (Pesticides) और दवाइयां अक्सर असावधानीपूर्वक एक ही स्थान पर रखी जाती हैं, धोखे से या भ्रमवश कीटनाशक पी लेने की घटना असंभव नहीं है। आमाशय में पाया गया "धुंधला कत्थई पदार्थ" कीटनाशक हो सकता है। यदि मृतका ने स्वयं भ्रमवश इसे पी लिया, तो यह एक दुर्घटना (Accident) है, अपराध नहीं। अभियोजन यह साबित करने में विफल रहा है कि यह 'दुर्घटना' नहीं थी बल्कि 'हत्या' थी। जब आत्महत्या या दुर्घटना की संभावना को पूरी तरह से नकारा नहीं जा सकता, और अभियुक्तगण के पास विष देने का कोई अवसर (Opportunity) साबित नहीं है, तो धारा 328 का अपराध नहीं बनता।

एक और महत्वपूर्ण विधिक पहलू यह है कि पी० डब्लू०-3 (पिता) और पी० डब्लू०-4 (चाचा) ने भी अपने बयानों में विष देने की घटना का कोई प्रत्यक्ष विवरण नहीं दिया है। वे केवल शव देखने के गवाह हैं। उनकी गवाही धारा 328 के तत्वों को पूरा नहीं करती। पंचायतनामा (Inquest Report) के गवाहों की राय कि "गला दबाकर मारा" और तहसीलदार की राय "फांसी", दोनों ही "विष देने" के सिद्धांत से मेल नहीं खाते। यह विरोधाभास दर्शाता है कभी गला दबाना, कभी बेल्ट से मारना, और अंत में विष का आरोप लगाना - यह अस्थिरता (Vacillation) अभियोजन की विश्वसनीयता को नष्ट करती है। माननीय सर्वोच्च न्यायालय ने शरद बिरधीचंद सारदा बनाम महाराष्ट्र राज्य में स्पष्ट किया है कि विष से मृत्यु के मामलों में चार बातें सिद्ध होनी चाहिए: (1) विष से मृत्यु हुई, (2) अभियुक्त के पास विष था, (3) अभियुक्त को विष देने का अवसर मिला, और (4) विष देने का हेतुक था। प्रस्तुत मामले में, केवल पहली शर्त (विष से मृत्यु की संभावना) के अलावा, शेष तीनों शर्तें - विष की उपलब्धता (Possession), अवसर (Opportunity), और हेतुक (Motive) - अभियोजन द्वारा अभियुक्तगण रामकिशोर और माया देवी के संदर्भ में साबित नहीं की जा सकी हैं।

निष्कर्षतः, उपरोक्त विस्तृत विवेचना के आधार पर, यह न्यायालय इस निष्कर्ष पर पहुँचता है कि अभियोजन पक्ष अभियुक्तगण रामकिशोर और माया देवी के विरुद्ध धारा 328 भारतीय दण्ड संहिता के अंतर्गत लगाए गए आरोप को "संदेह से परे" प्रमाणित करने में विफल रहा है। अभियुक्तगण के विरुद्ध न तो प्रत्यक्ष साक्ष्य है, न ही परिस्थितियों की अटूट श्रृंखला। अतः, उन्हें इस आरोप से भी दोषमुक्त (Acquit) किया जाना न्यायोचित है।

31. **धारा 315 भारतीय दण्ड संहिता** (शिशु का जीवित पैदा होना रोकने या जन्म के पश्चात उसकी मृत्यु कारित करने के आशय से किया गया कार्य) के आरोप का सुविस्तृत, सूक्ष्म एवं विधिक विश्लेषण:-

प्रस्तुत सत्र परीक्षण में अभियोजन पक्ष द्वारा अभियुक्तगण रामकिशोर एवं माया देवी के विरुद्ध भारतीय दण्ड संहिता की धारा 302 और 304 बी के अतिरिक्त धारा 315 का भी विशिष्ट आरोप विरचित किया गया है। यह धारा उस परिस्थिति को दंडित करती है जब कोई व्यक्ति किसी शिशु को जीवित पैदा होने से रोकने के आशय से, या जन्म के पश्चात उसकी मृत्यु कारित करने के आशय से, शिशु के जन्म से पूर्व कोई ऐसा कार्य करता है जिससे वह शिशु जीवित पैदा होने से रोका जाता है या जन्म के पश्चात उसकी मृत्यु हो जाती है। इस आरोप की गंभीरता इस तथ्य में निहित है कि यह न केवल एक महिला के प्रति अपराध है, बल्कि एक अजन्मे शिशु (Unborn Child) के जीवन के अधिकार के हनन का भी प्रश्न है। प्रस्तुत प्रकरण में, मृतका गर्भवती थी, यह तथ्य निर्विवाद है, किन्तु क्या अभियुक्तगण ने धारा 315 के विधिक घटकों को पूरा करते हुए कोई कृत्य

किया, यह विचारणीय प्रश्न है। इस आरोप के न्यायनिर्णयन हेतु न्यायालय पत्रावली पर उपलब्ध मौखिक साक्ष्य, चिकित्सीय रिपोर्ट, और परिस्थितियों का अत्यंत गहनता और सूक्ष्मता से परीक्षण कर रहा है, ताकि न्याय के उद्देश्यों की पूर्ति हो सके और विधि का शासन अक्षुण्ण रहे।

सर्वप्रथम, इस आरोप की आधारशिला, अर्थात् 'गर्भावस्था' (Pregnancy) के तथ्य का विश्लेषण आवश्यक है। अभियोजन साक्षी पी० डब्लू०-1 अरविन्द (वादी) ने अपनी मुख्य परीक्षा में कथन किया है कि "जिस समय मेरी बहन की हत्या की गयी, उस समय मेरी बहन मृतका लगभग चार-साढ़े चार माह की गर्भवती थी"। इसी प्रकार पी० डब्लू०-3 बालेश्वर (पिता) और पी० डब्लू०-4 रामेश्वर (चाचा) ने भी मृतका के गर्भवती होने के तथ्य की पुष्टि की है। इस तथ्य को अकाट्य वैज्ञानिक आधार प्रदान करते हुए पी० डब्लू०-5 डॉ० निर्मल ओझा ने पोस्टमार्टम रिपोर्ट (प्रदर्श क-5) में स्पष्ट अंकित किया है कि "मृतका गर्भवती थी, उसके गर्भ में लड़के (मेल) का भ्रूण था, जिसकी लम्बाई 20 सेमी तथा वजन 150 ग्राम था। उसकी भ्रूण अवस्था की उम्र साढ़े चार महीने की थी"। चिकित्सीय साक्ष्य से यह निसंदेह साबित है कि मृतका के गर्भ में एक जीवित भ्रूण विद्यमान था। अतः, धारा 315 के प्रथम चरण, यानी 'शिशु के जन्म से पूर्व' की स्थिति, का अस्तित्व पत्रावली पर स्थापित है। किन्तु, धारा 315 के अपराध के गठन के लिए केवल गर्भावस्था का होना और भ्रूण की मृत्यु हो जाना पर्याप्त नहीं है; इसके लिए "अधिनियम" (Act) और "आशय" (Intention) का होना अनिवार्य है।

धारा 315 के विश्लेषण में सबसे जटिल और महत्वपूर्ण प्रश्न "आशय" (Intention) का है। विधि की मंशा यह है कि अभियुक्त ने जो कृत्य किया, वह "विशिष्ट रूप से" (Specifically) शिशु को जीवित पैदा होने से रोकने के लिए किया गया होना चाहिए। अभियोजन का मुख्य मामला यह है कि अभियुक्तगण ने दहेज की मांग (भैंस, फ्रिज, नकद) पूरी न होने के कारण मृतका की हत्या की। अभियोजन के किसी भी साक्षी - न तो वादी ने, और न ही अन्य परिजनों ने - यह आरोप लगाया है कि अभियुक्तगण की मंशा विशेष रूप से गर्भस्थ शिशु को मारने की थी। उनका आरोप "मृतका को मारने" (To kill the deceased) का था। यदि किसी कृत्य का उद्देश्य माँ की हत्या करना है, और उसके परिणामस्वरूप गर्भस्थ शिशु की भी मृत्यु हो जाती है, तो तकनीकी रूप से यह धारा 316 (त्वरित अजन्मे शिशु की मृत्यु कारित करना जो मानव वध की कोटि में आता है) के अंतर्गत आ सकता है, यदि शिशु 'त्वरित' (Quick unborn child) हो। प्रस्तुत मामले में भ्रूण 4.5 माह का था। यद्यपि 4-5 माह में 'क्विकनिंग' (Quickening - भ्रूण की हलचल) प्रारंभ हो सकती है, परन्तु धारा 315 का आरोप तब बनता है जब 'कृत्य' का लक्ष्य शिशु का जन्म रोकना हो। यहाँ अभियोजन यह साबित करने में विफल रहा है कि अभियुक्तगण का कोई ऐसा स्वतंत्र आशय था जो केवल शिशु को लक्षित करता हो। यदि उन्होंने विष दिया (जैसा कि आरोप है) या गला दबाया, तो वह प्राथमिक रूप से मृतका के विरुद्ध था।

अब हम "कृत्य" (Act) और चिकित्सीय साक्ष्य के सह-संबंध (Correlation) का परीक्षण करते हैं। धारा 315 के अंतर्गत दंडित करने के लिए यह आवश्यक है कि अभियुक्त द्वारा कोई ऐसा कार्य किया गया हो जिसने प्रत्यक्ष रूप से भ्रूण की मृत्यु कारित की हो। पी० डब्लू०-5 डॉ० ओझा ने मृतका के शरीर पर 5 चोटें (Abraded contusions) पाईं, जो चेहरे, ठोड़ी और घुटने पर थीं। अत्यंत महत्वपूर्ण तथ्य यह है कि मृतका के उदर (Abdomen) या पेडू (Pelvic region) पर किसी भी प्रकार की चोट, प्रहार, या दबाव के निशान नहीं पाए गए। यदि अभियुक्तगण का आशय गर्भस्थ शिशु

को मारने का होता, या उन्होंने "बेल्टों से जमकर पिटाई" (जैसा कि वादी ने झूठा दावा किया) की होती, तो पेट पर चोट के निशान अवश्य होते। पेट पर चोट का पूर्ण अभाव यह दर्शाता है कि भ्रूण पर कोई प्रत्यक्ष शारीरिक हमला (Physical Assault) नहीं किया गया था। भ्रूण की मृत्यु का कारण "Maternal Death" (माँ की मृत्यु) है। जब माँ के शरीर में प्राण नहीं रहे, तो ऑक्सीजन और पोषण की आपूर्ति रुकने से भ्रूण की मृत्यु स्वाभाविक परिणाम थी। यह मृत्यु अभियुक्तगण के किसी "शिशु-रोधी कृत्य" (Child-specific act) का परिणाम नहीं थी, अपितु माँ की मृत्यु का अनुषंगी परिणाम (Collateral Damage) थी। चूंकि माँ की मृत्यु के लिए अभियुक्तगण का दायित्व (जैसा कि धारा 302 और 328 के विश्लेषण में निष्कर्ष निकाला गया है) साबित नहीं है, अतः भ्रूण की मृत्यु का दायित्व भी उन पर आरोपित नहीं किया जा सकता।

एक अन्य महत्वपूर्ण विधिक पहलू यह है कि धारा 315 के अंतर्गत वह कृत्य अपराध नहीं माना जाता जो "सद्भावपूर्वक माँ का जीवन बचाने के लिए" (In good faith for the purpose of saving the life of the mother) किया गया हो। यद्यपि यहाँ यह अपवाद प्रत्यक्ष रूप से लागू नहीं होता क्योंकि कोई शल्य क्रिया नहीं हो रही थी, परन्तु इसका विधिक निहितार्थ यह है कि धारा 315 का लक्ष्य उन कृत्यों को दंडित करना है जो दुर्भावनापूर्ण (Malicious) हैं। प्रस्तुत मामले में, बचाव पक्ष का तर्क है कि मृतका ने "धोखे से कीटनाशक पी लिया"। यदि यह सत्य है, या इसकी संभावना है, तो यह एक दुर्घटना है। दुर्घटना में माँ की मृत्यु हुई और परिणामस्वरूप बच्चे की। दुर्घटना में कोई 'आपराधिक आशय' (Criminal Intent) नहीं होता। यदि मृतका ने स्वयं विष पिया (आत्महत्या), तो भी अभियुक्तगण धारा 315 के दोषी नहीं हो सकते क्योंकि कृत्य (Act) मृतका का स्वयं का था, न कि अभियुक्तगण का। धारा 306 (आत्महत्या का दुष्प्रेरण) का आरोप विरचित नहीं है और न ही साक्ष्य है। अतः, चाहे मृत्यु दुर्घटना हो या आत्महत्या, किसी भी स्थिति में अलग रहने वाले सास-ससुर पर धारा 315 का आरोप चस्पा नहीं होता।

पी० डब्लू०-1 (वादी) के बयान की विश्वसनीयता का मुद्दा धारा 315 के आरोप को भी प्रभावित करता है। वादी ने दावा किया कि "अभियुक्तगण ने हत्या की"। उसने यह नहीं बताया कि उन्होंने विशेष रूप से बच्चे को मारने के लिए क्या किया। अभियोजन का पूरा जोर 'दहेज मृत्यु' पर रहा है। धारा 315 का आरोप मात्र एक "अनुपूरक आरोप" (Supplementary Charge) के रूप में जोड़ दिया गया प्रतीत होता है, केवल इसलिए क्योंकि पोस्टमार्टम में भ्रूण मिला। विधि के अनुसार, प्रत्येक आरोप को स्वतंत्र रूप से और ठोस साक्ष्यों के आधार पर सिद्ध करना होता है। केवल भ्रूण की उपस्थिति और मृत्यु स्वतः ही धारा 315 के अपराध को सिद्ध नहीं करती। अभियोजन को यह दिखाना होता है कि अभियुक्त का 'हाथ' और 'मस्तिष्क' (Actus Reus and Mens Rea) दोनों इस परिणाम को प्राप्त करने की दिशा में कार्य कर रहे थे। यहाँ न तो हाथ (मारपीट/विष देना) साबित है, न ही मस्तिष्क (आशय)।

उपरोक्त विधिक विवेचना के आधार पर, इस न्यायालय का निष्कर्ष है कि अभियोजन पक्ष अभियुक्तगण रामकिशोर और माया देवी के विरुद्ध भारतीय दण्ड संहिता की धारा 315 के आरोप को स्थापित करने में पूर्णतः विफल रहा है।

भ्रूण की मृत्यु माँ की मृत्यु का परिणाम मात्र थी, जिसके लिए अभियुक्तगण का दायित्व सिद्ध नहीं होता। अतः, अभियुक्तगण राम किशोर और माया देवी को धारा 315 भारतीय दण्ड संहिता के

आरोप से दोषमुक्त (Acquit) किया जाना न्यायोचित है।

32. अतः उपरोक्त विवेचना के आलोक में न्यायालय इस निष्कर्ष पर पहुँचती है कि अभियोजन पक्ष, प्रस्तुत प्रकरण में अभियुक्तगण रामकिशोर व माया देवी के विरूद्ध लगाया गया आरोप अन्तर्गत धारा–498ए,304बी,315,328 भारतीय दण्ड संहिता, धारा–4 दहेज प्रतिशेष अधिनियम एवं वैकल्पिक आरोप अन्तर्गत धारा–302 भारतीय दण्ड संहिता, युक्तियुक्त संदेह से परे साबित करने में असफल रहा है। तदनुसार अभियुक्तगण रामकिशोर व माया देवी दोषमुक्त किये जाने योग्य है।

आदेश

सत्र परीक्षण संख्या–873/2018, मुकदमा अपराध संख्या–204/2018, थाना कुन्दरकी, जिला मुरादाबाद से संबंधित अभियुक्तगण रामकिशोर व माया देवी को धारा– 498ए,304बी, 315,328 भारतीय दण्ड संहिता, धारा–4 दहेज प्रतिशेष अधिनियम एवं वैकल्पिक आरोप अन्तर्गत धारा–302 भारतीय दण्ड संहिता के अन्तर्गत दण्डनीय आरोप से दोषमुक्त किया जाता है।

अभियुक्तगण उक्त अपराध के लिए जमानत पर हैं। अतः उसके जमानतनामें व बन्ध–पत्र निरस्त किये जाते हैं तथा प्रतिभूगण को उनके दायित्वों से उन्मोचित किया जाता है।

अभियुक्तगण द्वारा धारा–437(ए) दण्ड प्रक्रिया संहिता के अनुपालन में स्वयं का एक–एक लाख रूपये का व्यक्तिगत बन्धपत्र व समान धनराशि के दो–दो जमानती प्रस्तुत किए गये हैं, जिन्हें सत्यापन के अध्याधीन अन्तिम रूप से स्वीकार किया गया है, जो जमानतनामे व बन्धपत्र अग्रिम छः माह तक प्रभावी रहेंगे।

दिनाँक–09.01.2026

(प्रीति सिंह–द्वितीय)
अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश/
फास्ट ट्रैक कोर्ट सं0–1, मुरादाबाद
ID No.-UP 1613

उक्त निर्णय मेरे द्वारा हस्ताक्षरित एवं दिनाँकित करके खुले न्यायालय में उद्घोषित किया गया।

दिनाँक–09.01.2026

(प्रीति सिंह–द्वितीय)
अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश/
फास्ट ट्रैक कोर्ट सं0–1, मुरादाबाद
ID No.-UP 1613